ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मार्च 2018 / अंक 02

विषय सूची

मार्च 2018
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- सूचना के अधिकार का मजबूत होता संबल
- लुक वेस्ट पॉलिसी : भारत की बढ़ती सक्रियता
- मानव तस्करी : एक सामाजिक समस्या
- भारत-ईरान संबंध का नया परिदृश्य
- भारत-कनाडा सम्बन्ध में वर्तमान समझौते की अहमियत
- विश्व कैंसर दिवस की प्रासंगिकता
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : समृद्धि की गाथा

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 22-28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. सूचना के अधिकार का मजबूत होता संबल

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में चुनाव आयोग से कहा है कि वह सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का ऑनलाइन जवाब देने के लिए विशेष मुहिम चलाए। चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं और एक भी ऑनलाइन आरटीआई का जवाब अब तक नहीं दिया गया है। सूचना आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाये।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग से अब तक हुई ईवीएम की खरीद को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके अलावा ईवीएम की कार्यप्रणाली और चुनाव के दौरान मशीन में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गये थे। याचिका कर्ता ने ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिये मांगी थी। गौरतलब है कि आरटीआई के दायरे में आने वाले विभाग और मंत्रालय ऑनलाइन जवाब देते हैं लेकिन एनडीटीवी इंडिया की ओर से भेजे गये सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके लिए ऑनलाइन जानकारी दे पाना मुमकिन नहीं है। आयोग ने ये भी कहा है कि इस बारे में वह गंभीरता से विचार कर रहा है। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ऑन लाइन आरटीआई को निपटाने के लिए विशेष मुहिम चलाए।

पृष्ठभूमि

किसी भी माध्यम चाहे वो प्रिंट मीडिया, मॉस मीडिया, वेब मीडिया, ईमेल, जनमत, रिपोर्ट, कागज संवाद, रिपोर्ट और आंकड़े एडवर्टाइजिंग के जरिए प्राप्त जानकारी को सूचना कहते हैं।

आरटीआई के तहत किसी निजी संस्थान या किसी मंत्रालय तक की सूचनाएं माँग कर, सूचना हासिल करने के हक को सूचना का अधिकार

कहा जाता है। सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19(1) कहता है कि सभी नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है। सूचना का अधिकार अधिनियम की विकास यात्रा 1952 से आरम्भ होती है। भारत सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रेस एक्ट पारित किया जा रहा था, उस समय जब लोगों से इस बारे में सुझाव मांगे गये तो इस प्रकार की बातें उस समय भी उठीं कि जनता को सभी संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया जाये। तब सरकार ने इसे परिहार्य न समझते हुए टाल दिया था। इसके बाद वर्ष 1966-67 में भी प्रेस की स्वतंत्रता पर इस तरह के सुझाव मांगे गये थे। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा था कि जनता बिना जानकारी के कुछ नहीं कह सकती। इसलिए सूचना के अधिकार को अनुच्छेद-19में शामिल किया गया। उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जनता सबसे प्रमुख है इस नाते उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार कैसे काम कर रही है। प्रत्येक नागरिक भले ही वह आयकर के दायरे में न आता हो, लेकिन वो वस्तु व सेवा कर के रूप में कर का भुगतान करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिक के अनुरोध के प्रति समयबद्ध प्रतिक्रिया को अनिवार्य बनाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जबाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को सही मायनों में जनता के कार्य करने के लिए तैयार करना है। अर्थात एक सुविज्ञ नागरिक को प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नजर रखने व उसे नागरिकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए सूचनाओं से समर्थ बनाना जरूरी है। यह अधिनियम सरकार के क्रियाकलापों से नागरिकों को अवगत कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आरटीआई की आवश्यकता क्यों?

सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। यह अधिकार जनता को ताकतवर बनाता है। इस अधिनियम के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी मना नहीं किया जा सकता। अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर गैर-हाजिर रहते हों, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांगे या फिर राशन की दुकान पर राशन न मिले तो आप सूचना के अधिकार के तहत ऐसी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी भी सरकारी विभाग में गए हैं और वहां के अधिकारी से आपने कहा है "आरटीआई मेरा मौलिक अधिकार है'' और मैं इस देश का प्रमुख व्यक्ति हूँ, इसलिए कृपया अपने सभी फाइल्स दिखाएँ" वह अधिकारी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमें एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। सूचना का अधिनियम 2005 हमें वह प्रक्रिया प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमें कोई नया अधिनियम नहीं देता। सामान्य तौर पर यह सूचना कैसे प्राप्त करना है, आवेदन कहां करना है, शुल्क की राशि क्या है आदि बताता है।

भारत के इतिहास में 15 जून 2005 का दिन अहम माना जाता है। इस दिन सूचना का

अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ इसी वर्ष 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। हॉलाकि इसके पूर्व 9 राज्य सरकारों ने राज्य अधिनियम पारित कर लिया था वे 9 राज्य- जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु असम व गोवा थे।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन-से अधिकार मौजूद हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकारों के लिए समर्थ बनाता है:

- सरकार से किसी भी तरह का सवाल करने या सूचना मांगने का अधिकार।
- किसी भी सरकारी दस्तावेजों की प्रति लेने का अधिकार।
- किसी भी सरकारी दस्तावेजों के निरीक्षण करने का अधिकार।
- किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार।
- किसी भी सरकारी कार्य की सामग्री का नमूना लेने का अधिकार।

आरटीआई के दायरे में कौन

केंद्रीय आरटीआई अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है। संविधान किसी कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के दायरे में गठित सभी निकाय या एनजीओ समेत सरकार के स्वामित्व, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित सभी निकाय हैं, आरटीआई के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएँ या विभाग हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद और विधानमण्डल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सभी सरकारी अस्पताल, पुलिस, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनियाँ, सरकारी फोन कंपनियाँ, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ।

कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिस पर आरटीआई लागू नहीं होता जैसे-किसी भी खूफिया एजेंसी की वैसी जानकारियाँ, जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा, एकता व अखण्डता को खतरा हो।

दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले, थर्ड पार्टी अर्थात निजी संस्थानो संबंधी जानकारी, सरकार के पास उपलब्ध इन संस्थाओं की जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं।

आरटीआई के फायदे

पारदर्शिता: आरटीआई अधिनियम के लाभों में पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। आरटीआई नागरिक को सरकार की गतिविधियों, नियमों और विनियमों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिकों के बीच बेहतर संचार के लिये माध्यम का कार्य करता है क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता रहा है कि सरकारे और लालफिताशाही मनमानी करती रहीं हैं। जनता को सरकारी गतिविधियों की सूचना नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब देश का आम नागरिक भी स्थानीय स्तर पर या सरकारी स्तर पर सूचना प्राप्त कर सकता है।

इस अधिनियम से नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोण का विकास होगा। इस अधिनियम के लागू होने के कारण सरकारी अधिकारियों की ये बाध्यता है कि वे जनता द्वारा पूछे गये प्रश्नों की सूचना उपलब्ध करायें। आरटीआई के माध्यम से अधिकारी कोई अनुचित कदम उठाने से पहले सौ बार सोचेगा। इससे पता चलता है कि ये अधिनियम जनता के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

आरटीआई अधिनियम के द्वारा सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इस प्रकार सरकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं तक आम आदमी की पहुँच हुई है अर्थात् अब आम आदमी भी सरकारी कामकाज की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आवेदन के 30 दिनों के भीतर सरकारी सेवक की यह जिम्मेदारी है कि वो सूचना उपलब्ध कराये अन्यथा दूबारा आवेदन के पश्चात उसे आर्थिक जुर्माने के साथ सूचनाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। सूचना के अधिकार अधिनियम से भ्रष्टाचार में व्यापक कमी आयेगी। सभी सूचनाएं सुलभ होने से भ्रष्टाचार के ग्राफ में गिरावट आयी है। जैसे होटल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एयर, रक्षा आदि में भ्रष्टाचार में व्यापक कमी आयेगी। विभिन्न कार्यालयों भर्तियों आदि में घूस लेने की प्रथा पर अंकुश लगेगा।

इस अधिनियम से सरकार और जनता के संबंध मजबूत होंगे क्योंकि पब्लिक-सरकार संवाद दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान सरकार जो सुशासन की बात करती है, उसे भी बल मिलेगा। जिस सरकार में जनता और सरकार के बीच सूचनाओं से संबंधित मामलों को सार्वजनिक किया जाता है वो सरकार भी दीर्घकालिक सरकार साबित होती है। इससे सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं उसकी जानकारी जनता तक पहुंच पाती है।

सरकारी जवाबदेही में भारी वृद्धि होगी क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे-मिल स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उज्जवला योजना, दीन दयाल उपाध्याय योजना आदि जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं। इससे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में संलग्न अधिकारियों की जवाबदेही में भी वृद्धि होगी।

इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से जैसे-हार्डडिस्क, फ्लॉपी, टेप, कैसेट या किसी दूसरे माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है।

चुनौतियाँ

आरटीआई अधिनियम एक क्रांतिकारी अधिनियम हैं क्योंकि इसमें नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के कार्यों के बारे में जानने का व्यापक अधिकार समाहित है बाबजूद इसके इस कानून के समक्ष कई समस्याएं हैं, जो निम्नलिखित है:

- व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में आज भी इस अधिनियम की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। सरकार इस अधिनियम का प्रचार प्रसार में रूचि नहीं ले रही है।
- सूचना आयोग में भी अदालतों की तरह लंबित मामलों का ढेर लगा हुआ है। इस विभाग में मानव संसाधन की कमी एक बड़ी समस्या है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के सूचना आयुक्तों को भी अर्द्ध-न्यायिक तरीके से द्वितीय अपील एवं शिकायतों का निपटारा करना होता है। इन सभी अधिकारियों में से कई अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें न्यायिक पृष्ठभूमि से नहीं होने के कारण, न्याय दृष्टांतों को समझने या उचित ढंग से उनका निर्वचन करने में कठिनाई आती है, जिसके कारण उनसे गलतियाँ होना स्वाभाविक है।
- आरटीआई अधिनियम का दुरूपयोग भी बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सरकारी अधिकारियों या किसी अन्य संस्थानों को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से इस कानून का उपयोग कर रहे हैं।
- सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो आयोग द्वारा जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

लेकिन ऐसे बहुत कम मामलों में जुर्माना लगाया जाता है, जिसके कारण कार्यालयों में सूचना देने में टाल मटोल का रवैया अपनाया जाता है।

इस कानून की धारा 4 के तहत कुछ सूचनाएँ सभी विभागों को स्वयं सार्वजनिक कर देनी चाहिए, ताकि आम जनता को आवेदन देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसका भी पालन अधिकांश विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

न्यायपालिका और राजनीतिक दलों का इस कानून के दायरे से बाहर होना इसके औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि आज इन दोनों से जुड़ा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है।

आगे की राह

- आरटीआई अधिनियम को लागू हुए लगभग 13 साल हो गये हैं लेकिन आम नागरिकों तक इसकी पहुँच आज भी एक समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए व्यापक, प्रचार-प्रसार की आवश्कता है। टी.वी. चैनलों, सोसलमीडिया स्कूलों, कॉलेजों, तथा कैंपेन के माध्यम से इसको आम जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकारी मशीनरी, राजनैतिक इच्छा शक्ति को बलवति करने की आवश्यकता है।
- सूचना आयोग भी अदालतों की तरह न बन जाये इसके लिये इसमें मानव संसाधन की कमी को दूर करने की आवश्यकता है।
- सूचना आयोग में दक्ष और पेशेवर लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि न्यायिक पृष्ठभूमि से न होने की वजह से कई अधिकारी अयोग्य हैं तथा उनसे गलतियां होती रहती हैं।
- बढ़ते आरटीआई अधिनियम के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इस दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि आरटीआई का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। जो भी आरटीआई मांगी जा रही है उसकी विश्वसनियता की जांच अवश्य करना चाहिए।
- जुर्माने के प्रावधान को और कठोर बनाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम से संबंधित कुछ विषय जिनको सार्वजनिक किया जा सकता है उसे सार्वजनिक किये जाने की आवश्यकता है। इससे आरटीआई अपील में कमी आयेगी।
- जहां तक संभव हो न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

2. लुक वेस्ट पॉलिसी : भारत की बढ़ती सक्रियता

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन खाड़ी देशों-फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की यात्रा 9-12 फरवरी, 2018 के बीच संपन्न की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और इन देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा समेत द्वीपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए खाड़ी और पश्चिमी एशिया प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और उनकी इस यात्रा का मकसद इस क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत बनाना है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी वैश्विक गतिविधियों में इस क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई है। भारत का यहां के देशों के साथ बहु-आयामी संबंध है। मैं अपनी यात्रा के जरिये भारत के पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र के साथ बढ़ते महत्वपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने के लिये प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद खाड़ी और पश्चिमी एशिया क्षेत्र की उनकी यह 5वीं यात्रा है। साथ ही किसी प्रधानमंत्री की यह पहली फिलिस्तीन की यात्रा है।

पृष्ठभूमि

भारत ने सफलतापूर्वक दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ 'लुक ईस्ट नीति' का अनुसरण कर अपने संबंधों को महत्वपूर्ण आयाम दिया है। पूर्वोन्मुख नीति की सफलता के बाद, दक्षिण पूर्व एशिया की तरह भारत अब पश्चिमी एशिया में अपने विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से ही अच्छे रहे हैं लेकिन व्यापक स्तर पर 'लुक वेस्ट पॉलिसी' की शुरूआत सन् 2005 से होती है। 2005 से लेकर 2015 तक भारत और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आयी है।

भारत के राष्ट्रपति ने अक्टूबर, 2015 में इजराइल, फिलिस्तीन और जार्डन की राजकीय यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त, 2015 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगस्त, 2015 में मिश्र, फिलिस्तीन एवं इजराइल की यात्रा संपन्न की। उन्होंने अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। इसके साथ ही यूएई के विदेशमंत्री ने सितम्बर, 2015 में, ईरान के विदेशमंत्री ने अगस्त 2015 में भारत की यात्रा की। भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक भी 2015 में ही सम्पन्न हुई।

प्राचीन काल में सिंधु/डिलुमन सभ्यता के समय से दोनों पक्षों के बीच संपर्क सतत् रूप से जारी है। इस क्षेत्र में 7 मिलियन से अधिक भारतीय रह रहे हैं जो हर साल धन प्रेषण के रूप में लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में भारत का आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध 186 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के आस-पास है। यह क्षेत्र हमारी तेल एवं गैस की आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का स्रोत है। यूएई सरकार के मुताबिक भारत यूएई में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। यूएई भारत के लिए 10वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला देश है। अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2017 तक यानी पिछले 17 सालों में एफडीआई में योगदान 27.76 अरब डॉलर का है।

इस क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक सहयोगी ओमान है। आधिकारिक आंकड़ों के

मुताबिक कुल निवेश करीब 7.5 अरब डॉलर तक का है। ओमन के पर्यटकों और मरीजों के लिए भारत एक सबसे बड़ा केन्द्र है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं पश्चिमी एशिया के देश

भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है, जिस प्रकार से भारत ने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदला है जिससे पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों को मजबूती दी है। उसी प्रकार से भारत को 'लुक वेस्ट पॉलिसी' की भी जरूरत है। हाल के खाड़ी देशों के राजनयिकों के भारत दौरे तथा भारतीय राजनयिकों के पश्चिमी एशिया के दौरे इस क्षेत्र में भारत के मजबूत, रिश्तों को दर्शाता है।

जनवरी, 2018 में भारत और इजराइल के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिसमें मुख्य रूप से, प्रौद्योगिकी सहयोग, नवाचार, अनुसंधान व विकास, विज्ञान, अंतरिक्ष आदि शामिल थे। भारत और इजरायल के बीच पहली बार तेल और गैस क्षेत्र में निवेश, इजराइल रिन्यूवेबल एनर्जी में भारतीय कंपनियों को उन्नत तकनीक देने को लेकर समझौता, एक-दूसरे देशों के निवेशकों को बढ़ावा तथा सुरक्षा देने का समझौता, आतंकवाद पर दोनों देशों में आपसी सहमती का हस्ताक्षर। भारत इजराइली, हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है। 2016 में भारत ने इजराइल से 59.9 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे थे।

हाल ही में संपन्न पीएम मोदी की यूएई यात्रा काफी महत्वपूर्ण थी जिसमें भारत और यूएई के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत और यूएई के बीच होने वाले व्यापार को 2020 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले चार वर्षों में यूएई की तरफ से भारत में चार अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और छह अरब डॉलर का पोर्ट फोलियो निवेश हुआ है। वहीं यूएई ने भारत में 25 अरब डॉलर के नए निवेश की बात की है। अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने पिछले वर्ष भारत में बनाए जा रहे तीन तेल भंडारों में रूचि दिखाई है।

खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या हाल के वर्षों में 60 लाख से बढ़कर 90 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये लोग सालाना भारत को 35 अरब डॉलर की राशि भेजते हैं। इससे देश का विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 60 फीसदी इस क्षेत्र के देशों से प्राप्त किया जाता है।

पश्चिमी एशिया के देशों में ओमान के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को ओमान के दुकम पोर्ट तक पहुंच हासिल हुई। हिन्द महासागर के पश्चिम में भारत के रणनीतिक पहुंच के लिए यह समझौता काफी अहम है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के साथ करीब 5 करोड़ डॉलर के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये। उधर संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भारत ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किऐ। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजधानी अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी।

लुक वेस्ट नीति के लाभ

हाल ही में पीएम मोदी ने तीन पश्चिमी एशियाई देशों की यात्रा सम्पन्न की है। ईरान के राष्ट्रपति श्री हारून रूहानी भारत के दौरे पर हैं। जो भारत का इन देशों के साथ मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। भारत भी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अपनी द्विपक्षीय और सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्ध है। 'लुक वेस्ट नीति' से भारत को कई लाभ होंगे।

भारत इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। देश में दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये खाड़ी देश महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत की वार्षिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत है इस वृद्धि दर को बनाये रखने के लिये ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस दीर्घकालिक ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत की पहल निःसंदेह एक रणनीतिक सफलता है।

खाड़ी के देश भारत के लिए एक पंसदीदा व्यापारिक भागीदार हैं। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब 21,004.57 करोड़ डॉलर के व्यापार के साथ चौथा सबसे बड़ा गैर-तेल व्यापारिक भागीदार है। इसी तरह यूएई 43,469.50 करोड़ डॉलर के साथ भारत का व्यापारिक साझीदार है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ विश्व अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं और भारत भी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। खाड़ी देशों को भारत के साथ व्यापारिक संभावना को देखते हुए भारत को इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात-चीत आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

रणनीतिक रूप से भारत के लिये खाड़ी के देश अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन देशों से संपर्क के साथ भारत पश्चिम के देशों तक आसानी से अपनी पहुँच बना सकता है। चीन के 'शिल्क रूट नीति' को काउण्टर करने के लिये इस क्षेत्र में भारत की सामारिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। अर्थात् क्षेत्र में शक्ति संतुलन में मदद मिलेगी।

इस्लामी उग्रवाद, आतंकवाद और समुद्री चोरी के बढ़ते खतरे भारत तथा खाड़ी देशों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे समय में इन देशों के साथ सैनिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक सहयोगी ओमान है। खाड़ी देशों के साथ सैन्य संबंध को मजबूत बनाने के लिये इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास भी जरूरी है जिससे संभावित खतरों से निपटा जा सकता है।

चूँकि भारत का खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। इस क्षेत्र में बढ़ते संबंधों से भारत का खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और भारत का इन इस्लामिक राष्ट्रों से सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान परिदृश्य

भारत और फिलिस्तीन ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे कि फिलिस्तीन में क्षमता निर्माण होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे से भारत को पहली बार आबूधाबी के बड़े तेल संसाधन में हिस्सेदारी मिल गई है। इस समझौते के तहत भारतीय ऑयल कंपनी को अबूधाबी की 'ऑफशोर लोवर जैकम' में 10 फीसदी की हिस्सेदारी मिली है। भारत और यूएई आतंकवाद के मुद्दे को हल करने के लिये राजी हुए हैं।

पश्चिमी एशिया में ओमान भारत का मुख्य साझीदार रहा है और यहां पर भारतीय मूल के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय रहते हैं। नई दिल्ली भारतीय महासागर में ओमान के महत्व को वरीयता दे रहा है। नौसेना सहयोग इस क्षेत्र में पहले से ही चले आ रहे हैं लेकिन ओमान ने भारत को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैतो से निपटने के लिये अधिकार प्रदान किये हैं। भारत ओमान स्वास्थ्य, टूरिज्म और बाह्य स्पेश के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिये अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

दुकम की अहमियत को भारत ने अभी समझा है, हालांकि, अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। चीन ने तो 2016 में ही दुकम पोर्ट पर 2,246 करोड़ रूपये से ज्यादा का निवेश किया था। दुकम पोर्ट ओमान के दक्षिणपूर्वी भाग में स्थित है और यहां से एक साथ अरब सागर और हिन्द महासागर दोनों तरफ नजर रखी जा सकती है। इस पोर्ट का सामरिक

एवं रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि ये ईरान के चाबाहार बंदरगाह के नजदीक है। हाल ही में भारत और ओमान के बीच संपन्न समझौते के तहत भारत को महत्वपूर्ण दुकम पोर्ट के मिलिट्री और लाजिस्टिक सपोर्ट के लिए प्रयोग की इजाजत मिल गई है। भारत अब ओमान के इस बंदरगाह तक अपने जहाज भेज सकेगा साथ ही इंडियन नेवी भी इसका प्रयोग कर सकेगी। भारत अब इस क्षेत्र में चीन के मुकाबले मजबूत स्थिति में है।

चुनौतियाँ

आसियान भारत के लिये एक साधन की तरह कार्य करता है जिसकी बदौलत भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने संबंधों को मजबूत बनाया है। चाहे वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सामरिक क्षेत्र हो प्रत्येक क्षेत्र में भारत की अपनी अहम भूमिका होती है। लेकिन पश्चिमी एशिया में इस तरह के समान अवसर मौजूद नहीं हैं।

खाड़ी देशों की अस्थिरता भी भारत के लिये चिंता का विषय है। यहाँ पर अनेक आतंकवादी संगठन जैसे-आईएसआई सक्रीय हैं। इसके अलावा अरब स्प्रिंग, राजनीतिक उथल-पुथल, आदि अनेक कारण हैं जिससे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता कायम है।

खाड़ी देशों की धार्मिक समस्या भी महत्वपूर्ण है जैसा कि सुन्नी अरबियों और इरानी शियाओं के बीच शिया और सुन्नी का मामला आदि। चूंकि अरब देश इस्लाम का जन्म स्थान होने के कारण वैश्विक प्रभाव रखता है जिससे भारत भी कहीं न कहीं प्रभावित है। (अगर भारत ईरान के साथ संबंध स्थापित करना चाहे तो हो सकता है अरब के साथ संबंध स्थापित करने में समस्या आए ठीक उसी प्रकार सऊदी अरब से।)

भारत में वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक मतभेद भी 'लुक वेस्ट नीति' को प्रभावित करते हैं। भारत और चीन एक उभरती हुए शक्तियाँ हैं। इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। जिस प्रकार से चाइना अपना प्रभाव भारतीय समुद्री क्षेत्र में फैला रहा है अब समय आ गया है कि भारत अपनी सुरक्षा समझौतों को इन समुद्र तटीय देशों के साथ मजबूत करे।

इजराइल-फिलिस्तीन संबंध भी एक चिंता का विषय है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि हाल के वर्षों में भारतीयों की संख्या 60 लाख से बढ़कर 90 लाख हो चुकी है और ऐसे समय में खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होने आवश्यक है।

आगे की राह

भारत की पश्चिमी एशिया की नीति का उद्देश्य खाड़ी देशों में ज्यादा से ज्यादा सक्रीय भूमिका निभाने की होनी चाहिए। अपने किये गये वायदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करे साथ ही इस क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के साथ उपस्थिति दर्ज कराये।

चूंकि खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका और रूस की पहुंच 90 के दशक में अधिक थी वो अब कम हो रही है। ऐसे में इस खाली स्थान को भरने के लिये भारत के पास एक सुनहरा मौका है।

चूँकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। लेकिन लुक वेस्ट नीति के लिये कोई रोड मैप नहीं है अतः भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह, एक्ट वेस्ट पॉलिसी की भी आवश्यकता है।

विदित हो कि सऊदी अरब और ईरान, इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच धार्मिक एवं राजनैतिक विवाद होते ही रहते हैं। ऐसे में भारत को इन देशों के साथ अपनी संबंध मजबूत बनाने में व्यवहारिक दक्षता का परिचय देना होगा। (अर्थात् पक्षपातपूर्ण रवैये से बचना होगा।)

लुक ईस्ट पॉलिसी की तरह भारत को लुक वेस्ट पॉलिसी को अमल में लाना होगा अर्थात एक अलग रणनीति की जरूरत है।

भारत में आंतरिक रूप से शांति व्यवस्था होनी चाहिए। भारत सरकार को वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक मतभेदों को आपसी सहमति के साथ दूर करने की जरूरत है।

खाड़ी देशों की अस्थिरता को तटस्थ रूप में ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब तक ये देश अस्थिर रहेंगे तब तक लुक वेस्ट पॉलिसी अपनी सफलता को पाने में असमर्थ होगी। अर्थात् विभिन्न समझौतों को लागू होने में समय लगेगा।

भारत को चीन के साथ एक स्पष्ट और ठोस नीति की जरूरत है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिये भी इस देशों के साथ संबंध स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि एक तो यहां पर लाखों भारतीयों को रोजगार मिला है तो वहीं ये विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में भेजकर भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान निभाते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

3. मानव तस्करीः एक सामाजिक समस्या

चर्चा का कारण

भारत के माध्यम से अन्य देशों में विदेशी नागरिकों की तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। एक याचिका जिसमें कहा गया था कि बंग्लादेशी लड़कियों को मुम्बई से दुबई अवैध तस्करी के द्वारा भेजा जा रहा था, की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा जारी रिपोर्ट का विरोध किया था। रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2016 में दुनिया भर में 40.3 मिलियन 'आधुनिक दास' थे जिसमें 29.3 मिलियन मजदूर श्रमिक और 15.4 मिलियन जबरन विवाहित महिलाएं। हालांकि रिपोर्ट में भारत के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया था लेकिन संकेत

भारत की तरफ ही था। रिपोर्ट में कहा गया कि आधुनिक दासों के 61.78% एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विद्मान हैं।

मानव तस्करी क्या है?

व्यक्ति को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके इच्छा के विरुद्ध या लालच देकर ले जाया जाता है जिससे कि उसे डराकर, बलपूर्वक तथा दोषपूर्ण तरीके से काम लिया जा सके तो इसे ही मानव तस्करी कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक तथा दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, यहाँ-वहाँ ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी के श्रेणी में आते हैं। यू.एन के अनुसार दुनिया भर में 80% से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए।

वर्तमान परिदृश्य

भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। सन् 2014 में लगभग 55000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से थे। इसके अलावा यह माना जाता है कि कुल मामलों में से केवल 30% मामले ही रिपोर्ट किए गए और वास्तविक संख्या कहीं इससे अधिक है। यूएन रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के आधे गुलाम भारत में रहते हैं और दिल्ली भारत में मानव तस्करी का गढ़ है। दिल्ली, घरेलू कामकाज, जबरन शादी और वेश्यावृत्ति के लिए छोटी लड़कियों के अवैध व्यापार का हॉटस्पॉट है।

उल्लेखनीय है कि बच्चे खासतौर पर छोटी लड़कियाँ और युवा महिलाएं जो कि ज्यादातर उत्तर पूर्वी राज्यों से होती हैं, उन्हें उनके घरों से लाकर दूरदराज के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए बेचा जाता है। ऐजेंट इनके माता-पिता को पढ़ाई, बेहतर जिंदगी और पैसों का लालच देकर लाते हैं। वे इन्हें स्कूल भेजने के बजाय ईंट के भट्टों पर, कारपेंटर, घरेलू नौकर या भीख मांगने जैसे-काम करने के लिए बेच देते हैं जबकि लड़कियों को यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि इन लड़कियों को उन क्षेत्रों में शादी के लिए मजबूर किया जाता है जहाँ लड़कियों का लिंग अनुपात लड़कों के मुकाबले कम है। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों पर मानव तस्करी का खतरा सबसे ज्यादा होता है।

नई दिल्ली के पश्चिमी इलाकों में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली लगभग 1000 एजेंसियों मानव तस्करी के भरोसे ही फल-फूल रही हैं। इनके जरिए अधिकतर छोटी बच्चियों को ही बेचा जाता है जहां उन्हें घरों में 16 घंटों तक काम करना पड़ता है। साथ ही वहां न सिर्फ उनके साथ मारपीट की जाती है बल्कि अन्य तरह के शारीरिक व मानसिक शोषण का भी वे शिकार होती हैं। ना ही सिर्फ घरेलू नौकर बल्कि जिस्मफरोशी के जाल में भी बच्चियाँ फंस जाती हैं और हर स्तर व हर तरह से इनका शोषण होने का क्रम जारी रहता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 से अधिक मामले सामने आए हैं जिनमें 182 विदेशियों सहित कुल 23 हजार पीड़ितों को रिहा कराया गया। यह संख्या 2015 में 6877 थी। वर्ष 2015 में कुल 15379 पीड़ितों में 9034 पीड़ितों की आयु 18 वर्ष से कम थी हांलाकि यह संख्या 2016 में बढ़कर 14183 हो गई। मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले (3579 मामले) पश्चिम बंगाल में दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2015 में असम पहले और पश्चिम बंगाल 1255 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर था।

असम में वर्ष 2016 में मानव तस्करी के 91 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2015 के 1494 मामलों की तुलना में काफी कम थे। वर्ष 2016 में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा जहाँ मानव तस्करी के 1422 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा। इस सूची में दिल्ली 14वें स्थान पर रहा जहाँ मानव तस्करी के 66 मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2015 में 87 थे। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2016 में 23117 पीड़ितों को छुड़ाया गया जिनमें 22932 भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, बंग्लादेश, थाइलैण्ड तथा उज्बेकिस्तान सहित अन्य देश के नागरिक शामिल थे।

मानव तस्करी के कारण

भारत में मानव तस्करी के कारणों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं।

1. **मांग और आपूर्ति का सिद्धांतः** मानव तस्करी पर भी मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। बड़े व्यवसायिक शहरों में व्यापारिक जिस्मफरोशी की मांग पैदा होती है जिसकी पूर्ति के लिए छोटी लड़कियों और युवा महिलाओं की तस्करी की जाती है।
2. **गरीबीः** मानव तस्करी के कारणों में यह सबसे बड़ा कारण है। चूंकि भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र अभी भी विकास में बहुत पीछे हैं और वहाँ गरीबी का स्तर बड़े पैमाने पर है। मां-बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चों को बेचकर उन्हें शिक्षा और सुरक्षा के मायने में बेहतर जीवन दे रहे हैं। अपने जीवन-यापन के लिए भी आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मां-बाप अपनी बेटियों को एजेंटों के हाथों बेच देते हैं।
3. **जबरन शादीः** लड़कियों और महिलाओं को ना सिर्फ देहव्यापार के लिए तस्करी किया जाता है बल्कि उन्हें एक सामान की तरह उन क्षेत्रों में बेचा जाता है जहां कन्या भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों का लिंगानुपात लड़कों के मुकाबले कम है और फिर इन्हें शादी के लिए मजबूर किया जाता है।
4. **देह व्यापारः** वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि बड़े-बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी रेड लाईट एरिया का निर्माण हो चुका है। वैध और अवैध दोनों तरीके से यह व्यापार फल-फूल रहा है। देह व्यापार ने मानव तस्करी को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।
5. **बंधुआ मजदूरः** यू तो बंधुआ मजदूरी भारत में गैर कानूनी है लेकिन समाज में यह अभी भी प्रचलित है। आइएलओ के अनुसार एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में 11.7 मिलियन से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर कार्य

कर रहे हैं। पैसों की तंगी झेल रहे लोग पैसों के बदले में अक्सर अपने बच्चों को बेच देते हैं। यही बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में जाने जाते हैं और कई बार तो इनके माता-पिता को सालों तक भुगतान भी नहीं किया जाता है।

6. **सामाजिक असमानता:** भारत में अभी भी सामाजिक असमानता का बोलबाला है। अमीरी-गरीबी की खाई बहुत चौड़ी है तथा ऊंच-नीच का सिद्धांत विद्मान है। कई बार सामाजिक बहिष्कार भी मानव तस्करी को बढ़ावा देता है।
7. **क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन:** देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूरब से लेकर पश्चिम तक लैंगिक असंतुलन विद्मान है। किसी राज्य में लड़कियों की स्थिति अच्छी है तो कहीं अत्यधिक खराब। बहुत से राज्य हैं जहाँ लड़कियों के जन्म से लेकर पालन-पोषण तक में विभेद किया जाता है। लड़कियों को घर का बोझ समझा जाता है और लड़कों के तुलना में उन्हें कम वरीयता दी जाती है। लड़कियों की कम होती संख्या बाद में इन राज्यों में परेशानी का कारण बनता है और फिर मानव तस्करी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
8. **चाइल्ड पोर्नोग्राफी:** आधुनिक समय में यह एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। पैसे के लिए छोटी-छोटी बच्चियों को पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है। मानव तस्करी का यह सबसे विकृत रूप सामने आया है।

सरकारी पहल

भारत सरकार मानव तस्करी को रोकने के लिए कई स्तर पर कार्य कर ही है जो निम्नलिखित है:

(i) **यूएनओडीसी:** भारत का गृह मंत्रालय मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एण्ड क्राइम (UNODC) के साथ सहयोग कर रहा है। यूएनडीसी की नवीनतम रिपोर्ट में तस्करी के 500 विभिन्न प्रकारों की पहचान की गई है। यूएनडीसी दक्षिण एशिया प्रभाग कानून प्रवर्तन और पुनर्वास के परिप्रेक्ष्य से एक विशेष 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्लेटफार्म' शुरू करने की प्रक्रिया में है।

(ii) **अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013:** इस अधिनियम के तहत कानूनी उपायों को और मजबूती प्रदान की गई है और यह कानून 3 फरवरी 2013 से प्रभाव में आ चुका है। इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012 से बाल संरक्षण में संशोधन शामिल है।

(iii) **संविधान का अनुच्छेद 23(1):** इस अनुच्छेद में मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध बनाया गया है। हालांकि यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है।

(iv) **मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुर्नवास) विधेयक 2016:** इस विधेयक के तहत मानव तस्करी में संलिप्त लोगों को दुगनी सजा देने का प्रावधान है अर्थात् अपराधियों की सजा को दोगुना कर दिया जाएगा। इसमें बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से लेकर कम वेतन देने जैसे अपराध को भी शामिल किया गया है। इसके तहत मीडिया या कोई भी व्यक्ति गवाहों और पीड़ितों का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार को एक विशेष जांच एजेंसी के गठन का सुझाव दिया गया है जो मानव तस्करी के मामलों की नए कानून के अंतर्गत जांच करेगी।

तस्करी की शिकार लड़कियों के लिए लंबे समय तक के लिए सरकारी पुर्नवास का प्रबंध होगा। उन्हें नए हुनर सिखाए जाएंगे जिससे वह अपनी आजीविका चला सकें। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। मानव तस्करी भारत के पड़ोसी देशों में बहुतायत से होती है इसलिये इसके रोकथाम के लिए पड़ोसी देशों से संधि किया जा रहा है। जिला और राज्य स्तर पर अंतर मंत्रालयी तस्करी विरोधी समितियों के गठन का सुझाव दिया गया है।

(v) **Track the missing child.gov.in:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह वेबसाईट बनाई है। इस वेबसाईट द्वारा लापता बच्चों की संख्या, उनके गायब होने का समय तथा संबंधित पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।

आगे की राह

- लोगों को इनके इलाकों में अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं तथा रोजगार का साधन उपलब्ध कराना होगा। जिससे कि मां-बाप अपने बच्चों को इस तरह न बेच सकें।
- लड़कियों और महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है जिससे कि वेश्यावृत्ति और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोका जा सके।
- विभिन्न राज्यों में मानव तस्करी रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों का गठन करना होगा।
- बहुत से एन्जियाँ जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा देना होगा।
- भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होगा।
- संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे देशों में मानव तस्करी के लिए भारत एक स्रोत है जिस पर रोक लगाना होगा।
- घरेलू श्रमिकों के हित में कठोर कदम उठाना होगा और विद्मान नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी एक साथ मिलकर कार्य करें एवं आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करें जिसका उपयोग मानव तस्करों पर लगाम कसने के लिए किया जा सकता है।
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि एजेंट उन क्षेत्रों में मानव तस्करी न कर सकें।

निष्कर्ष

यह सही है कि नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। भारत के लिए तो यह सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिक समस्या भी है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार मानव तस्करी को रोकने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। देश के सभी नागरिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार का साथ दें जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. भारत–ईरान संबंध का नया परिदृश्य

चर्चा का कारण

17 फरवरी 2018 को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सुरक्षा, व्यापार एवं ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती देने के लिए बातचीत हुई। जिसके बाद दोनों पक्षों ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोहरे कराधान से जुड़ा एक समझौता भी शामिल है। अपनी व्यापक बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। इन समझौतों से भारत और ईरान के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों में और गहराई आएगी। अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और अशांति पैदा करने के लिये आतंकवादियों के इस्तेमाल का भी जिक्र भारत ने किया। अफगानिस्तान मसले पर भी दोनो नेताओं के बीच गहन बातचीत हुई। दोनो ने कहा है कि वे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एकता और वहां की सरकार का समर्थन करते हैं। क्षेत्रीय यातायात सम्पर्क बढ़ाने के लिये भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच चल रहे सहयोग को और तेज करने के संकल्प के साथ ही ईरान और भारत ने जमीनी संपर्क में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करने की बात की। ईरान ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन करेगा। रूहानी ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया। इसी कड़ी में दोनों देशों ने पारंपरिक खरीददार विक्रेतावाले संबंधों के बजाय दीर्घावधि रणनीति साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

पृष्ठभूमि

भारत और ईरान के बीच शताब्दियों से परस्पर संबंध रहे हैं और इन दोनों देशों के बीच प्रभावपूर्ण परस्पर संवाद होते रहे हैं। इन दोनों देशों की सीमाएं वर्ष 1947 तक आपस में मिलती थीं और भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं के क्षेत्र में अनेक सामान्य विशिष्टताएँ देखने को मिलती हैं। दक्षिण एशिया एवं फारस की खाड़ी दोनों के बीच वाणिज्यिक, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्र में साथ ही जनता के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध रहे है।

स्वतंत्र भारत और ईरान ने 15 मार्च, 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। तेहरान में भारतीय दूतावास के अलावा, भारत का ईरान में फिलहाल दो और दूतवास हैं। एक कांसुलावासबांदर में तथा दूसरा जहेदान में है। शाह ने फरवरी/मार्च 1956 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1959 में ईरान का दौरा किया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अप्रैल, 1974 में और प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने जून, 1977 में ईरान का दौरा किया। इसके बाद शाह ने फरवरी, 1978 में भारत का दौरा किया। वर्ष 1979 में हुई ईरानी क्रांति ने भारत और ईरान के बीच आपसी संबंधों का एक नया द्वार खोल दिया, इसके फलस्वरूप दोनों देशों की ओर से उच्चस्तरीय सरकारी दौरे हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने सितंबर 1993 में ईरान का दौरा किया, इसी तरह प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001 में दौरा किया। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 28-31 अगस्त 2012 की अवधि के दौरान तेहरान में आयोजित 16वें निर्गुट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ईरान का दौरा किया। ईरान ने 2012 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता की। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22-23 मई, 2016 में ईरान का दौरा किया तथा ऐतिहासिक चाबहार समझौता संपन्न हुआ।

ईरान के राजनयिकों का दौरा भी संपन्न हुआ जैसे-ईरान के राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी ने अप्रैल, 1995 में, राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने वर्ष 2003 में, राष्ट्रपति डा. महमूद अहमदीनेजाद ने अप्रैल 2008 में भारत का दौरा किया। अब 2018 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का भारत दौरा हुआ, जिसमें कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। जो यह दर्शाता है कि भारत का ईरान के साथ राजनयिक संबंध कितने प्रगाढ़ हैं।

भारत और ईरान के बीच विभिन्न सेक्टरों में आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध हैं। तथापि, लंबे समय से व्यापारिक संबंधों में ईरान से भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात करना प्रमुख रहा है। जिसमें समग्र व्यापारिक संतुलन ईरान के पक्ष में रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत ने 8.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुएँ मुख्यत: कच्चे तेल का आयात किया और 4.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया।

3 मई, 2013 को श्री सलमान खुर्शीद (तत्कालीन विदेश मंत्री) ने तेहरान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। सांस्कृतिक केंद्र आपसी हित के सेमिनारों/सम्मेलनों तथा संगीत समारोहों का नियमित रूप से आयोजन करता है। दूतावास 'आइने हिंद' (भारत का दर्पण) एक द्विमासिक पत्रिका भी निकाल रहा है जो भारत को ईरान की आम जनता के संस्कृति से परिचित करा रहा है। भारत में लगभग 8000 ईरानी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। भारत, ईरान के छात्रों को आई.टी.ई.सी., आई.सी.सी.आर एवं कोलंबो योजना के तहत प्रतिवर्ष 67 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। ईरान के पर्यटकों के लिए भारत पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष लगभग 27,000 ईरानी पर्यटक भारत आते हैं।

ईरान में लगभग 1300 भारतीय छात्र अध्ययनरत् हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक

भारतीय विद्यालय का संचालन तेहरान और दूसरा जहेदान में किया जा रहा है।

भारत-ईरान के बीच वर्तमान समझौते

भारत-ईरान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो निम्नलिखित हैं:

- दोहरा कराधान से बचने और कर चोरी रोकने का समझौता।
- राजनयिकों के लिये वीजा छूट पर समझौता।
- प्रत्यर्पण संधि के दस्तावेज का आदान-प्रदान।
- चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के पहले-चरण को पट्टे पर देने का अनुबंध।
- पारम्परिक औषधि में सहयोग का समझौता।
- आपसी रूचि के क्षेत्र में व्यापार संवर्द्धन के लिये विशेषज्ञ दल के गठन पर समझौता।
- कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग का समझौता।
- डाक सहयोग पर समझौता।

समझौते से लाभ

भारत-ईरान के बीच संपन्न विभिन्न समझौतों से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। दोहरे कराधान तथा कर चोरी होने से दोनों देशों के बीच व्यापार का ग्राफ बढ़ेगा, पारदर्शिता आयेगी, निवेश बढ़ेगा, तथा कर चोरी पर भी नकेल कसेगी क्योंकि भारत में कर चोरी एक बड़ी समस्या है, इससे निजात मिलेगा।

अब-तक भारत तथा ईरान के राजनयिकों को एक-दूसरे देश में आने-जाने के लिये वीजा लेना पड़ता था। लेकिन अब इस समस्या से निज़ात मिलेगी और दोनों देशों के राजनयिकों का संपर्क आसानी से हो सकेगा तथा प्राकृतिक आपदा/ विपत्ती के समय आसानी से संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।

भारत में अनेक राजनयिक, बिजनेशमैन घोटालों से घिरे रहते हैं और विदेश में पलायन कर जाते हैं इससे उन लोगों तक पहुँचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत तथा ईरान ने प्रत्यपर्ण संधी पर परस्पर हस्ताक्षर कर एक नई मिशाल कायम की है।

ईरान से चाबहार बंदरगाह समझौता कर भारत ने पाकिस्तान और चीन को माकूल जवाब दिया है। चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के पहले चरण (18 माह) को पट्टे पर देने का अनुबंध कर दिया गया है। यह भारत के लिये सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से काफी अहम है। इस समझौते के बाद भारत की पहुँच न केवल अफगानिस्तान तक बल्कि मध्य एशिया के अन्य देशों तक हो जायेगी। सबसे अहम बात यह है कि अब अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहेगी। चाबहार का सामरिक महत्व बहुत अधिक है और इसके अंतर्गत अतिरिक्त द्विपक्षीय रिश्तों को बल मिलेगा और वर्ष 2003 में हस्ताक्षरित भारत-ईरान निवेश प्रतिबद्धताओं को गहरा बनाएगा तथा सेज समझौते के तहत तीनों देशों-ईरान, भारत और अफगानिस्तान को इसका कारोबारी लाभ मिलेगा।

भारत-ईरान के मध्य संपन्न औषधि में सहयोग का समझौता एक नये अध्याय की शुरूआत है। इस समझौते से ईरान में मेडिकल क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। भारत ईरान व्यापार के मार्ग में उत्पन्न हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच आपसी रूचि के क्षेत्र में व्यापार संवर्द्धन के लिये विशेषज्ञ दल के गठन पर समझौता होने से दोनों देशों के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। नये निवेश के द्वार खुलेंगे क्योंकि विशेषज्ञ दल ये सुझाव देगा की किस वस्तु का निर्यात/आयात कब करना है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में दोनों देशों के बीच संपन्न कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में लाभ होगा। कृषि से संबंधित उपकरणों के आदान-प्रदान, मिट्टी की गुणवत्ता आदि का पता लगाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी।

भारत बड़े डाक नेटवर्क वाला देश है। डाक सहयोग पर समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा क्योंकि भारत का एक तबका ईरान में काम करता है और ईरान के विद्यार्थी यहां अध्ययन करते हैं ऐसे में अगर डॉक व्यवस्था फ्री हो जाए तो विचारों का आदान-प्रदान करने में सहुलियत होगी। भारत में लगभग 2000 ईरानी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। भारत ईरान के छात्रों को 67 छात्र वृत्तियाँ प्रदान करता है।

भारत ने तेहरान में पर्यटन वीजा संग्रहण का सफलता पूर्वक आउटसोर्स किया है ताकि भारत का दौरा करने वाले ईरानी पर्यटकों के लिए वीजा सुविधा को सुगम बनाया जा सके।

क्यों महत्वपूर्ण है ईरान भारत के लिए

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग प्रशान्त महासागर और हिंद महासागर के बीच फिर से आर्थिक संपर्क बनाने के लिए 2013 से ही 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड की बात कर रहे हैं। इसके पिछे चीन की मंशा अपने समुद्री तट को दक्षिण एशिया, खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट से जोड़ना है। इस परिप्रेक्ष्य में ईरान से भारत के द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने से चीन के घेरे की नीति को काउन्टर किया जा सकता है। इससे भारत भी प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। इससे भारत की पहुँच सीधे ईरान के रास्ते यूरोप तक हो जायेगी।

भारत ईरान संबंधों के मजबूत होने से इस्लामिक देश का दंभ भरने वाले पाकिस्तान से छुटकारा मिलेगा और भारत सीधे ईस्लामिक देशों के संपर्क में आयेगा इससे पाकिस्तान से सामरिक क्षेत्रों में संतुलन कायम होगा।

मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए भारत को पहले पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन ईरान के साथ समझौते से भारत अब सीधे पश्चिमी एशिया तक पहुँच बनाएगा तथा अपने व्यापार को एक नई दिशा दे सकेगा।

चूंकि भारत अफगानिस्तान में अनेक विकासात्मक कार्यक्रम संचालित कर रहा है ऐसे में अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के लिये महत्वपूर्ण है। भारत ईरान संबंधों के मजबूत होने से भी अफगानिस्तान में स्थिरता आयेगी क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान के द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत हैं।

भारत के लिये सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र है क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हम सभी जानते हैं कि ईरान में तेल के असीम भण्डार है। भारत को सस्ते तेल और गैस के लिए पश्चिमी एशिया की जरूरत है। ईरान समेत इस क्षेत्र के बाकी देश इस सच्चाई को जानते हैं कि अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए इन देशों का मोहताज नहीं रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अर्थात भारत की ऊर्जा आवश्यकता का एक बड़ा स्त्रोत ईरान हो सकता है। ऐसे में ईरान से चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से भारत इस बंदरगाह पर 18 महीने अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। यहां से बिना पाकिस्तान गुजरे अफगानिस्तान और आगे के मुल्कों तक सामान सप्लाई किया जा सकता है।

भारत ईरान समझौता होने से आतंकवाद को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी क्योंकि दोनों ही देश आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। ऐसी सूचना है कि रूस, पाकिस्तान और कुछ हद तक ईरान भी अफगानिस्तान तालिबान को मदद करते हैं। अफगानिस्तान में भारत की बड़ी मौजूदगी है।

तालिबान, अफगान सरकार और अमेरिका के लिए खतरा है, ऐसे में रूहानी पर भारत दबाव डाल सकता है कि वो तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों पर सख्ती दिखाए।

क्यों महत्वपूर्ण है भारत ईरान के लिए

चूंकि ईरान भी परमाणु संपन्न देश है तथा समय-समय पर परीक्षण भी करता रहता है जिस पर अमेरिका, रूस सहित यूरोप के देश भी ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते रहते हैं। ऐसे में ईरान को भारत जैसे राजनीतिक साझेदार मिल सकेगा।

भारत आईटी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग यूरोप में ज्यादा है। भारत के साथ मजबूत होते संबंधों से ईरान इस क्षेत्र में भारत से लाभ उठा सकेगा। साइबर अपराध पर अंकुश लगेगी।

विदित हो कि ईरान में लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (L.N.G.) के अपार भण्डार हैं। लेकिन तकनीकी रूप से पिछड़ा होने के कारण अभी तक इसका दोहन नहीं हो पाया है। भारत के साथ समझौते के तहत, भारत एल.एन.जी. के दोहन के लिये एल.एन.जी. प्लाण्ट चाबहार में लगाने जा रहा है। इससे ईरान में एल.एन.जी. की आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा ईरान इस गैस को दूसरे देशों को बेचकर धन की उगाही कर सकता है। इससे ईरान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इन सभी गतिविधियों की वजह से ईरान में चौतरफा निवेश बढ़ेगा। विदित हो कि ईरान के पड़ोसी देश-रूस, कतर, तुर्कमेनिस्तान, सभी एल.एन.जी. के निर्यातक देश हैं। ऐसे में भारत एल.एन.जी. लगाकर ईरान को भी एल.एन.जी. के निर्यातक देश के रूप में विकसित कर सकता है।

भारत चाबहार बंदरगाह में पेट्रो केमिकल हब लगाने जा रहा है। इस कदम से एक तरफ तो भारत को ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित होगी तो दूसरी तरफ भारत को भुगतान, भारतीय रुपये में ही करने की अनुमति मिल गई है जो भारत के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

ईरान चाबहार पोर्ट को ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करना चाहता है। क्योंकि ईरान की नजर हिंद महासागर और मध्य एशिया के व्यापार से जुड़ी हुई हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पश्चिमी देशों के साथ ईरान के बिगड़ते हुए रिश्तों के बाद भी ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंध कायम रखा। कच्चे तेल के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा ग्राहक है। विश्व में तेल आपूर्ति का पांचवा हिस्सा फारस की खाड़ी के जरिए होता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत के लिये ईरान और खाड़ी के देश आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत-ईरान संबंध मजबूत होने से चीन व पाकिस्तान पर सामरिक रूप से नकेल कसा जा सकेगा। साथ ही अमेरिकी संरक्षणवाद की नीति के विरुद्ध भारत को पश्चिमी एशिया के देश एक बाजार के रूप में मिल सकेंगे। इससे भारत अपनी 'लुक वेस्ट पॉलिसी' को नई दिशा प्रदान कर सकेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. भारत-कनाडा सम्बन्ध में वर्तमान समझौते की अहमियत

चर्चा का कारण

कनाडा के प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो 17, फरवरी 2018 से 7 दिवसीय भारत दौरे पर थे। भारत के विभिन्न शहरों का दौरा करने के बाद 23 फरवरी 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात किए। दोनो प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त बयान में पी.एम. नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बतौर पी.एम. ट्रूडो का यह पहला भारत दौरा है तथा भारत के प्रति कनाडा की जनता में काफी लगाव है। पीएम ने कहा कि हम अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। आतंकवाद के साथ हम एक साथ लड़ाई लड़ेगें। उन्होंने कहा कि बंटवारे की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कनाडा के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए नई पहल की जायेगी।

कनाडा के साथ अपने सामरिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने को भारत बहुत अधिक महत्व देता है। हमारे संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित हैं। व्यापार और निवेश से लेकर ऊर्जा तक, विज्ञान और इनोवेशन से लेकर शिक्षा और कौशल विकास तक, सागर से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में भारत और कनाडा एक साथ काम कर सकते हैं। अपने साझा बयान में दोनों देश आतंकवाद, उग्रवाद को भारत व कनाडा जैसे लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों के लिए खतरा बताया है। हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को चुनौती देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनाडा में भारतीय समुदाय की उपलब्धियों पर हम सभी भारतीयों को गर्व है।

पृष्ठभूमि

भारत और कनाडा के बीच ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उस समय से चले आ रहे हैं जब भारतीयों ने लघु संख्या में ब्रिटिश कोलंबिया में पलायन करना शुरू किया। पिछले

कुछ वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानिक तंत्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई है। दोनों देश जी-20, एआरएफ, चोगम आदि जैसे अनेक बहुपक्षीय मंचों के सदस्य भी हैं।

कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की संख्या 1.2 मिलियन से अधिक है जो कनाडा की कुल आबादी के 3 प्रतिशत से अधिक है। बहुत अधिक शिक्षित, समृद्ध तथा परिश्रमी पीआईओ, जो कनाडा में सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक है; कनाडा की मुख्य धारा से अच्छी तरह जुड़ा है और दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में काम करता है।

राजनीतिक स्तर पर हाल के वर्षों में दोनो देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तर पर अंत:क्रियाएँ हुई हैं। प्रधानमंत्री जीन क्रिस्टीन ने 2003 में, प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन 2005 में भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री स्टिफन हार्पर ने 15 से 18 नवंबर 2009 के दौरान भारत का आधिकारिक दौरा किया; जिसके दौरान एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह स्थापित करने के अलावा ऊर्जा सहयोग एवं ऊर्जा दक्षता पर (एमओयू) हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह ने जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 से 28 जून 2010 को टोरंटो का दौरा किया। उसी समय 27 जून को एक द्विपक्षीय घटक भी शामिल किया गया। असैन्य परमाणु सहयोग पर करार तथा खनन, संस्कृति एवं उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए तीन 'एमओयू' पर हस्ताक्षर किये गये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 42 साल के अंतराल के बाद 14 से 16 अप्रैल 2015 के दौरान कनाडा का दौरा किया तथा इस दौरान वह ओटावा, टोरंटो एवं वैंकुवर गए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौते हुए-अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसरो तथा कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी के बची एमओयू, रेल परिवहन में तकनीकी के क्षेत्र में, नागर विमानन के क्षेत्र में, बिमारी उन्मूलन तथा सेविंग ब्रेन पहल में सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्षेत्र में भारत को दीर्घकालीन यूरेनियम आपूर्ति के क्षेत्र में।

भारत कनाडा के बीच दो तरफा व्यापार 2010 में जहाँ 4.2 बिलियन था वो 2014 में बढ़कर 6.05 बिलियन कनाडियन डॉलर हो गया है। कनाडा के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 0.6 प्रतिशत है। 2014 में भारत की ओर से कनाडा में एफडीआई 3973 मिलियन कनाडियन डॉलर था जबकि इसी अवधि में कनाडा की ओर से भारत में एफडीआई 1128 मिलियन कनाडियन डॉलर था। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए 2013 में भारत-कनाडा सीईओ मंच का गठन किया गया।

परमाणु सहयोग करार (एनसीए) जिस पर जून 2010 में हस्ताक्षर किए गए, जो सितंबर 2013 में लागू हुआ। संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध कनाडा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के प्रयासों में एक विश्वसनीय साझेदार बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच पीएनजी सहयोग पर एक एमओयू पर निर्णय लिया गया।

शिक्षा, भारत और कनाडा के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए 'एमओयू' पर हस्ताक्षर जून 2010 में किए गए। कनाडा दालों एवं पोटाश का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कोल्ड चेन प्रबंधन, पशुपालन, शुष्क भूमि पर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तथा कृषि की संपोषणीयता द्विपक्षीय सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्र हैं। 2009 में कृषि सहयोग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

2005 में भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया गया। भारत-कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के माध्यम से आपसी परामर्शों का नियमित रूप से आयोजन हुआ। भारत और कनाडा अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं तथा अंतरिक्ष मिशनों के लिए बुनियादी सहायता के क्षेत्रों में 1990 के दशक से आपस में सहयोग कर रहे हैं।

कनाडा में भारतीय मूल के 1.2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। भारत की ओर से पहला पलायन 1897 में कनाडा के पश्चिमी तट पर हुआ जब रेलवे निर्माण के लिए पंजाब से लंबर, वर्कर और मजदूर वहां पहूँचे। वर्तमान हाउस ऑफ कॉमंस, में भारतीय मूल के सांसदों की संख्या लगभग 20 है।

वर्तमान समझौता

दोनो देशों के बीच साझा बयान के पहले कुल 6 मुद्दों पर समझौता हुआ।

1. इलेक्ट्रानिक।
2. पेट्रोलियम।
3. स्पोर्ट्स।
4. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
5. साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन।
6. एनर्जी।

समझौते का उद्देश्य/महत्व

चूंकि भारत डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है और कनाडा इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में अग्रणी देश है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच हुए इलेक्ट्रॉनिक्स समझौते से भारत अपनी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर सकता है। संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता के लिए भारत-कनाडा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग का गठन वर्ष 2007 में ही किया जा चुका है। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेटिव एण्ड टेक्नोलाजिकल एलायंस (जीआईटीए) और कनाडा की ओर से इंटरनेशनल साइंस एवं टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप (आईएसटीपी) आईसीआरडी की संयुक्त परियोजनाओं के निष्पादन एवं कार्यान्वियन में संलग्न हैं। जीआईटीए-आईएसटीपी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और नैनो प्रौद्योगिकी में अनेक द्विपक्षीय परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहे हैं को बल मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकाशील अर्थव्यवस्था हैं, जहाँ हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है, इस बढ़ती ऊर्जा की मांग को नई दिशा दी जा सकती है। चूंकि कनाडा पेट्रोलियम संपन्न देश है और भारत जब तक ईंधन के रूप में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब-तक वो कनाडा से पेट्रोलियम का आयात कर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

भारत में बहुतायत आबादी युवाओं की है और यहां पर कुछ गिने-चुने स्पोर्टस को ही वरीयता मिली हुई है। ऐसे में कनाडा के साथ हुए स्पोर्ट्स समझौते से भारत को लाभ होगा। क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या अधिक होने के बाद भी उचित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षक की कमी से दो-चार होना पड़ता है। प्रत्येक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय अधिक संख्या में प्रतिभाग करते हैं लेकिन मेडल लाने में असफल रहते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री भी खेलों को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं।

भारत और कनाडा के बीच व्यापार 2015 तक 6.4 विलियन कनाडियन डॉलर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संपन्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझौता कई मायने में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कनाडा में कई भारतीय कंपनिया कार्यरत है जैसे-आदित्य बिड़ला ग्रुप, एस्सार स्टील, टीसीएस, टेक महींद्रा, विप्रो, इनफोसिस टेकनोलॉजी आदि। इसके साथ ही दो बैंकों -स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई की कनाडा में क्रमश: 7 और 9 शाखाएँ हैं। वहीं कनाडा की कंपनियां

विद्युत एवं ऊर्जा, उपकरण एवं सेवा, तेल एवं गैस, पर्यावरण उत्पाद एवं सेवा, दूर संचार एवं आईटी तथा वित्तीय एवं बीमा जैसे क्षेत्रों में सक्रीय हैं। दोनों देशों में हुए समझौते से दोनों देशों के निवेशकों को लाभ मिलेगा तथा निवेश भी बढ़ेगा।

चूंकि भारत आरंभ से ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देता आया है। भारत कनाडा के बीच संपन्न समझौता-साइंस, टेकनोलॉजी और इनोवेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं इससे भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं, उद्योग नवाचारकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों एवं सामुदायिक संगठनों को मौजूदा प्रमुख चुनौतियों का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। क्योंकि आईसी-एमपीएसीटीएस गंगा नदी को साफ करने तथा नवीन प्रौद्योगिकी समाधान ढूंढने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ काम कर रहा है। इस समझौते से गंगा के स्वच्छता प्रोग्राम में तेजी आयेगी।

विकास की बात करें तो भारत का विकास दर विश्व में सबसे ज्यादा है, और इस विकास को आगे भी जारी रखने के लिये भारत को ऊर्जा की और अधिक आवश्यकता होगी। कनाडा यूरेनियम संपन्न देश है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच संपन्न ऊर्जा समझौता महत्वपूर्ण है। चूंकि भारत के पास परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत सीमित है इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को कनाडा के सहयोग से पूर्ण कर सकता है। चाहे बिजली उत्पादन हो, सिंचाई, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष के क्षेत्र आदि में कनाडा से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित कर, भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

क्यों महत्वपूर्ण हैं भारत-कनाडा संबंध?

भारत के तीव्र विकास के लिए भारत और कनाडा के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिये दोनों देशों के राजनयिकों को चाहिये कि वे समय-समय पर दोनों देशों का दौरा करते रहें ताकि राजनीतिक गैप न हो सके।

भारत और कनाडा के संबद्ध मजबूत होने से दोनों देशों के मध्य व्यापार के नये-नये मार्ग खुलेंगें तथा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत की ओर से कनाडा को अनेक वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं उनमें मुख्यरूप से रत्न, आभूषण तथा बहुमूल्य पत्थर, फार्मास्युटिकल उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल, जैविक रसायन, लाइट-इंजीनियरिंग गुड्स, लोहा एवं इस्पात की वस्तुएँ आदि शामिल हैं। भारत-कनाडा से जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें मुख्य रूप से दलहन, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एजबेस्टस, पोटाश, औद्योगिक रसायन आदि शामिल हैं। दो तरफा व्यापार के वर्तमान स्तर को (6.4 मिलियन कनाडियन डॉलर से) और ऊपर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों में एफडीआई, एफएफआई के आवक में वृद्धि होगी।

दोनों देशों के बीच हुए परमाणु ऊर्जा समझौता (2010) सितंबर 2013 में लागू भी हो गया है तथा दिसंबर, 2015 में यूरेनियम की पहली खेप भारत में आ भी चुकी है। इससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है वहीं कनाडा को यूरेनियम आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत जैसा एक उभरता हुआ बाजार भी मिल जायेगा।

भारत और कनाडा संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कनाडा यूरेनियम से लेकर पेट्रोलियम रसायन आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर उच्च बनाये रखने के लिये अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। कनाडा यूरेनियम का विश्व के बड़े उत्पादकों में से एक है। पूर्व में भी कनाडा ने भारत के परमाणु विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। 1954 में पहली भारतीय रिएक्टर साइरस (CIRUS) को विकसित करने में यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला देश कनाडा ही था। भारत को इसलिए भी यूरेनियम की आवश्यकता है क्योंकि भारत में 21 परमाणु संयंत्र कार्यरत हैं और लगभग 6 के आस-पास परमाणु संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

शिक्षा भारत और कनाडा के बीच सहयोग का एक प्रमुख्य क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए भी दोनों देशों का संबंध मजबूत होना आवश्यक है। दोनों देश छात्रों एवं संकाय सदस्यों का आदान-प्रदान, अनुसंधान एवं पाठ्यचर्चा विकास, कार्यशाला एवं सेमिनारों का आयोजन, उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच जुड़वा संबंधों की स्थापना आदि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इससे भारत आधुनिक और कॉमर्शियल शिक्षा की ओर अग्रसर होगा।

कृषि क्षेत्र की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है। चूंकि कनाडा दालों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कोल्ड चेन प्रबंधन, शुष्क भूमि पर खेती, खाद्यप्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विकास के नये मार्ग खुलेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देश मुख्य भूमिका निभा सकते हैं जैसे- बढ़ते साइबर अपराध एवं आतंकवाद को रोकने में, सैन्य क्षेत्र, नाभिकीय ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विज्ञान आदि। बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोग तथा विशेष रूप से उपग्रह ट्रैकिंग एवं स्पेस एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अहम योगदान दे सकते हैं। कनाडा के साथ भारत के मजबूत वाणिज्यिक संबंध भी हैं। भारत तथा कनाडा एक-दूसरे के उपग्रहों को लांच करते हैं। इधर हाल के वर्षों में भारत स्थित इसरों ने कनाडा के अनेक उपग्रहों को लॉच किया है।

चूंकि कनाडा में भारतीय मूल के 1.2 मिलियन से अधिक व्यक्ति रहते हैं। जो कनाडा के कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत से भी अधिक है। 1967 में प्वाइंट सिस्टम ने कनाडा में भारतीय डायसपोरा प्रोफाइल के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्वाइंट सिस्टम के अनुसार प्रवासियों का चयन किया गया जिसने डॉक्टरों, इंजीनियरों एवं शिक्षाविदों को कनाडा की ओर आकर्षित किया। इस लिहाज़ से भी दोनों देशों के मध्य संबंधों का मजबूत होना आवश्यक है।

आतंकवाद, उग्रवाद भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों के लिए खतरा हैं। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों का साथ होना महत्वपूर्ण है। भारत और कनाडा के संबंधों पर खालिस्तान आन्दोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। खालिस्तान आन्दोलन, भारत की आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान देश के रूप में निर्माण करना है। भारतीय दौरे पर आये कनाडियन प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी है। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे देशों की संप्रभुता, एकता, अखण्डता को चुनौती देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। चूंकि कनाडा में सिख समुदाय ज्यादा संख्या में निवास करती है तथा लगभग 20 के आस-पास मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति से बचने की आवश्कता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के संबंध अपने उच्चतम बिन्दु पर हैं। और इसको बनाये रखने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत की तेज और सतत् आर्थिक प्रगति और आर्थिक सुधार, कनाडा को प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। दोनों के संबंध बेहतर होने से दोनों देशों के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र मजबूत होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

6. विश्व कैंसर दिवस की प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों

हाल ही में 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'विश्व कैंसर दिवस' मनाया गया। भारत में भी इस दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में कई सरकारी और गैरसरकारी संगठनों द्वारा संगोष्ठी सेमिनार, लेक्चर, प्रतियोगिताएँ और जागरूकता रैलियाँ आयोजित की गईं। इस दिन कैंसर के क्षेत्र में कार्य कर रहे कई संगठनों द्वारा मैराथन जैसी प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गई। विश्व में तमाम बीमारियों से होने वाली मौतों में एक सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं। लोगों में कैंसर के प्रति रोकथाम और जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 'विश्व कैंसर दिवस' जागरूकता अभियान चलाया जाता है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि 2030 तक कैंसर के मरीजों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। अत: प्रत्येक देश में तेजी से बढ़ रही इस बीमारी के लिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। अगर इस बीमारी का पता समय पर चल जाता है तो इसका इलाज बेहतर हो सकता है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर इस दिन सभी लोगों को एकजुट करते हुए इसके एहतियाति कदमों में इस महामारी के प्रति जागरूकता उपचार के संदेशों को फैलाने के साथ ही इससे लड़ने की रणनीति भी बनाई जाती है।

पृष्ठभूमि

कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी की जाँच करने और इसकी रोकथाम करने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल' (UICC) नामक संस्था की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला विश्व कैंसर दिवस इसी संस्था द्वारा वर्ष 1933 में कई और प्रमुख शोध संस्थानों, उपचार केंद्रों और कैंसर मरीजों के समूह की सहायता से आयोजित किया गया था। इसके पश्चात ही इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से 4 फरवरी को मनाया जाने लगा। प्रति वर्ष इसको अलग-अलग थीम के माध्यम से मनाया जाता है। अभी वर्तमान में इसकी थीम वर्ष 2016 से एक ही चली आ रही है जो वर्ष 2018 तक के लिए निर्धारित की गई थी। वर्ष 2018 तक सम्पूर्ण विश्व कैंसर को खत्म करने के लिए (विश्व कैंसर दिवस-2016-2018) वी कैन, आई

कैन (हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ) नामक थीम के साथ अभियान चलाया जा रहा है।

कालांतर में 'यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल' (UICC) संस्था ने वर्ष 2008 में कैंसर के खात्मे से संबंधित एक डिक्लेरेसन लिखा इसमें विश्व कैंसर दिवस मनाने के उद्देश्यों को शामिल किया गया। अत: विश्व कैंसर दिवस मनाने का कैंसर डिक्लेरेसन के हिसाब से प्रथम उद्देश्य सन् 2020 तक कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में कमी करना और इसके कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है।

विश्व कैंसर दिवस की आवश्यकता क्यों?

हाल ही में किए गए सर्वे के पश्चात् यह तथ्य सामने आए थे कि वर्तमान में 12.7 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित हैं और प्रत्येक साल 7 मिलियन लोग कैंसर से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि इन हजारों जिन्दगियों को बचाया जा सके। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं और कैंसर से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा कई रणनीतियाँ भी तय की गई हैं। डब्ल्यूएचओ कैंसर पर अपनी रिपोर्ट भी देता है। अत: इन संस्थानों के प्रयासों और रणनीतियों की योजना में कुछ नए कार्यक्रम शामिल करने के लिए भी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

विश्व कैंसर जागरूकता अभियान के तहत कैंसर के पूर्व पहचान या रोकथाम व इससे बचाव के उपायों और खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व भर में सेमिनारों स्कूलों व कॉलेजों द्वारा रैलियों और मैराथनों का आयोजन किया जाता है। साथ ही वर्ष 2016 से निर्धारित की गई थीम वी कैन आई कैन अभियान के 6 प्रमुख संदेश जो निम्नवत हैं:

1. जागरूकता कदम उठाने के लिए प्रेरित करना।
2. स्वस्थ्य जीवन चर्या बनाना।
3. कैंसर की रोकथाम करना।
4. लोगों में ये समझ पैदा करना कि कैंसर का पता शुरूआती चरणों में चल जाने से इसका इलाज संभव है।
5. मदद के लिए प्रयास करना।
6. स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण करना।

इन संदेशों को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

विश्व कैंसर दिवस के द्वारा हर किसी को इसमें शामिल करते हुए उनका सहयोग लिया जाए ताकि यह अभियान बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त कर सके, साथ ही इसके द्वारा कैंसर पीड़ितों और उनके परिवारों की परेशानियों को कम करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

आम लोगों में कैंसर से संबंधित विभिन्न प्रकार के सामाजिक मिथक है। जैसे-कैंसर पीड़ित के साथ रहने या स्पर्श करने से उन्हें भी यह घातक बीमरी हो सकती है इसके जैसे और भी सामाजिक मिथकों को समाप्त करने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है।

कैंसर के प्रमुख कारणों जिनमें तम्बाकू का सेवन, अत्यधिक वजन, कम सब्जी और कम फल खाना, कम या बिल्कुल भी शारीरिक क्रियाएँ नहीं करना, अनियमित दिनचर्या, शराब का सेवन, एचपीवी (Human Papilloma Virus) संक्रमण, शहरों के वायु प्रदूषण, घर के अंदर धूम्रपान आदि शामिल हैं। अत: इन सब कारणों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही इसमें ह्यूमन पैपीलोमा वायरस (HPV) और हैपेटाइटिस बी के टीकाकरण के तरीकों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व भर में 8.8 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है और यदि विश्व कैंसर दिवस जैसे जागरूकता अभियान न चलाए जाएं तो यही संख्या वर्ष 2030 में बढ़कर 13.2 मिलियन हो जाएगी। इस वजह से भी इस प्रकार के अभियान प्रासंगिक हो जाते हैं।

आंकड़ों के अनुसार ये ध्यान देने योग्य है कि ज्यादातर कैंसर के मामले और उनसे होने वाली मौतों में 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत विश्व के कम विकसित क्षेत्रों में होते हैं। अगर यह नियंत्रित नहीं

किया गया तो 2030 तक ये और खतरनाक स्तर पर पहुँच जाएगा और ये देश महामारी से ग्रसित देशों की गणना में आने लगेंगे। इसलिए विश्व कैंसर दिवस जैसे अभियान कम विकसित देशों की ओर जागरूकता लाने में अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए केन्द्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और डब्ल्यूएचओ कई प्रकार के जांच कैपों का आयोजन करते रहते हैं।

भारत में कैंसर की स्थिति

भारत में प्रतिवर्ष सात लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं। प्रतिवर्ष 14 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। इस प्रकार यह आंकड़े देश में कैंसर की भयावह तसवीर पेश कर रहे हैं। भारत में कैंसर के प्रकोप को कम करने के लिए विश्व कैंसर दिवस सहित कई अन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2017 में देश के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तिरूवनंतपुरम से 7 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेंस डे' मनाने की घोषणा भी की। भारत में 40% कैंसर सिर्फ तम्बाकू के सेवन से होता है जिससे मुख्यतः मुँह का कैंसर होता हैं। केवल मध्य प्रदेश से ही 66 हजार लोग प्रति वर्ष जान गवाँ रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार 2020 तक इस जानलेवा बीमारी कैंसर की चपेट में 17.3 लाख लोग होंगे। ज्ञातव्य हो कि भारत में बढ़ रही कैंसर पीड़ितों की संख्या से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। भारत सरकार कैंसर हॉस्पिटल और मुफ्त दवाओं और इलाज आदि में अपनी जीडीपी का काफी हिस्सा खर्च करती है। कैंसर के उपचार पर हुए भारी भरकम खर्च की वजह से ब्रिक्स के सर्वे के मुताबित वर्ष 2012 में हमारी आर्थिक विकास दर 0.36 प्रतिशत प्रभावित हुई थी जिससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी काफी गिरावट दर्ज की गई थी।

इनमें तम्बाकू जनित उत्पादों के सेवन से हुए कैंसर की संख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात वर्ष 2016 में 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने ट्विन्स पैक में तम्बाकू जनित पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन इस प्रतिबंध को कोई भी राज्य और नागरिक आत्मसात नहीं कर पाया है। इसी का दुष्परिणाम है कि देश में तम्बाकू जनित पदार्थों के सेवन से मुँह व गले के कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (गेट्स) के अनुसार भारत में 26.7 करोड़ लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं।

कैंसर रोग की चुनौतियाँ

शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर है। जब ये कोशिकाएँ 'टिसू' को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन यदि कैंसर का सही समय पर पता न लगाया गया और उसका उपचार न हो तो इससे मौत का जोखिम बढ़ सकता है। कैंसर कई तरह का होता है। जैसे- स्तन कैंसर पैंक्रियाटिक कैंसर प्रोस्टेट कैंसर आदि।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कैंसर और मृत्यु दर के हिसाब से हार्ट कैंसर से 6 लाख, लंग्स कैंसर से 1.3 मिलियन कोलोरेक्टल के कैंसर से 6.39 लाख तथा स्टोमच कैंसर से 8 लाख, स्तन कैंसर से 5.19 लाख लोग मरते हैं। इसमें से भारत में मरने वालों में तम्बाकू के सेवन से हुए मुंख कैंसर की संख्या सर्वाधिक है। भारत के कुल कैंसर रोगियों में 90% तम्बाकू जनित कैंसर रोगी हैं।

युवाओं में बढ़ती धूम्रपान की लत कैंसर को और बढ़ा रही है। यह बीमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। पुरुषों में मुख्यतः लंग्स, लीवर, कालेस्ट्राल और ब्रेन कैंसर से मौते होती हैं। कैंसर से मरने वाले लोगों में महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों से अधिक है।

कैंसर बहुघटकीय कई कारक वाला रोग है (किसी एक प्रकार के कैंसर के लिए कोई एक कारण नहीं है) कुछ बाहरी एजेंट कैंसर उत्पन्न करने के कारण (कैस्किनोजेन्स) के रूप में कार्य करते हैं।

त्वचीय कैंसरकारी तत्वों में पराबैंगनी और आयनीकरण करने वाली विकिरण प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वर्तमान समय में इससे बचना एक चुनौती है।

एस्बेस्टस, तंबाकू, एफ्लोटॉक्सिन (दूषित आहार) और आर्सेनिक (दूषित पेयजल) आदि प्रमुख तत्व आज कैंसर रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ वायरस, बैक्टीरिया या हेपेटाइटिस बी और सी वायरस और मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) जैसे परजीवी वर्तमान में बढ़ रहे हैं जो कैंसर के संक्रमण को जन्म देते हैं।

कैंसर से निपटने के उपाय

कैंसर की बीमारी की रोकथाम करने के लिए और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक कैंप, रैली, लेक्चर और सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ लोगों को कैंसर रोग पैदा करने वाले कारकों से बचाव के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। और अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस जैसे कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान करना चाहिए।

भारत में युवाओं में बढ़ती धूम्रपान की लत एक चुनौती बनती जा रही है जिसकी रोकथाम कैसे हो और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े इसके लिए इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और आयुस मंत्रालय मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से कैंसर से बचाव और इलाज किया जा सके। अतः इस प्रकार की कार्ययोजनाओं लिए सरकार को अपने प्रयास तीव्र करने चाहिए।

तम्बाकू और तम्बाकू से बने उत्पादों पर सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए और इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। कैंसर से बचने के लिए तम्बाकू उत्पादों का सेवन बिल्कुन भी न करें कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले संक्रमणों से बचकर रहना चाहिए अर्थात कुल मिलाकर हम कहें तो आज कैंसर के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। यदि आप अपनी जीवन शैली नियंत्रित रखते हैं तो आप काफी हद तक इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ (UICC) के साथ विश्व के 155 देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय कैंसर सामाजिक संगठन, शोध संस्थान चिकित्सा केन्द्र और मरीजों के संगठन कार्य कर रहे हैं। जिनकी संख्या लगभग 800 के करीब है फिर भी हमें इस कैंसर रोग के प्रति रोकथाम में आशानुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। जिनकी प्रमुख वजह लोगों की जागरूकता और अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता है। भारत जैसे देश में यहाँ की सरकार को इसके रोकथाम हेतु अपने प्रयासों को और गति प्रदान करनी होगी। साथ ही तम्बाकू जनित उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध का रवैया अपनाना होगा तभी हम इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : समृद्धि की गाथा

चर्चा का कारण

हाल ही में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद में बजट 2018-19 को पेश किया। उन्होंने बजट में किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्यॉण के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों से देश की कृषि नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रित रही थी। हमने इसमें एक मौलिक संकल्पनात्मक बदलाव लाया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री हर खेत को पानी योजना' के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम, सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू की जाएगी। वर्तमान में जहाँ 30% से भी कम खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो पाती है। इस प्रयोजन के लिए बजट 2018-19 में 2600 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने सिंचाई निर्माण के कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड के एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) स्थापित किया है। इस कोष के स्कोप को विस्तारित करके विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कवर किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को किया। इस योजना से मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में तीन मंत्रालयों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमिजल संवर्धन तथा जल वितरण संबंधी कार्यो को समेकित किया गया है। इस योजना के लिए अगले पाँच वर्षो के लिए 50,000 करोड़ आवंटित किया गया है। तथा तत्कालीन वित्त वर्ष (2015-16) के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। राज्यों द्वारा धन राशि के प्रयोग तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्षवार उपयोग तथा कुल आवंटित धनराशि भी इस कार्यक्रम के लिए बढ़ाई जा सकती है जिससे कि हर खेत को पानी तथा प्रति बूँद अधिक फसल उत्पादन के साथ-साथ पूरे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। इस योजना में केन्द्र 75 प्रतिशत का अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केन्द्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा। इससे जहाँ किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा मिल सकेगी वहीं देश के लिए चुनौती बनते जा रहे जल स्तर को भी बढ़ाया जा सकेगा। वर्ष 2015-16 के दौरान लघु सिंचाई के तहत 8.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिसंबर 2019 तक 99 मुख्य और मध्यम सिंचाई को मिशन मोड में पूरा किये जाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया जा सकेगा।

इस योजना में संसाधन के आवंटन, मंत्रालीय समन्वयन, मॉनीटरिंग, प्रशासनिक मुद्दों के समाधान हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

मुख्य उद्देश्य

विगत कई दशकों के प्रयास के बावजूद कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा आधारित है। वर्षा के अभाव में किसानों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" स्वीकृत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपजिला/जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर सिंचाई योजना तैयार कर, खेतों तक जल पहुँचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन, जलाशय पुनर्भरण, सतत जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ-साथ भूमि जल सृजन, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना तथा जल उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना है।

आवश्यकता क्यों?

भारत में विश्व की आबादी की 17 प्रतिशत जनसंख्या तथा 11.3 प्रतिशत पशुधन निवास करते हैं, जबकि अपने देश में विश्व का मात्र 4 प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में हमारे समक्ष पशुधन और मानव को पेयजल उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं यदि हम देश में मौजूदा कृषि भूमि का आंकड़ा देखें तो देश में कुल 20.08 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें से मात्र 9.58 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित है। यह कुल क्षेत्रफल का केवल 48 प्रतिशत है। इसलिए 52 फीसदी असिंचित कृषि भूमि में उन्नत कृषि अपनाने के लिए आवश्यक जल आपूर्ति कराना भी दूसरी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए समुचित जल प्रबंधन करना होगा। यह प्रबंधन ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसके जरिए इस चुनौती से मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई है। वास्तव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक समग्र योजना है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा सूखा-प्रभावित इलाकों को मिलेगा। केंद्र सरकार सूखे की जद में रहने वाले इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। पिछले दो वर्षों में दस राज्यों में गंभीर सूखा पड़ा, जिससे कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा। वर्षा-आधारित कृषि भूमि के अतिरिक्त छह लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के पहले एक वर्ष में पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दरअसल सिंचाई क्षेत्र

में छह दशकों के निवेश के बावजूद सुनिश्चित सिंचाई के तहत 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि में से केवल 45 प्रतिशत ही कवर हो पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) हर खेत को पानी देने पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक सही कदम है। इसके अंतर्गत मूल स्थान पर जल संरक्षण के जरिए किफायती लागत और बांध-आधारित बड़ी परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

योजना के तहत चलने वाले प्रमुख कार्यक्रम

इस योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य रूप से मृदा एवं जल संरक्षण हेतु छोटे तालाब, जल संचयन संरचना के साथ-साथ छोटे बांधों तथा सम्मोच्च मेढ़ निर्माण आदि कार्यो का क्रियान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से समेकित पनधरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत करेगा। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुर्नउद्धार मंत्रालय संरक्षित जल को खेत तक पहुंचाने के लिए नाली इत्यादि का विकास करेगा। साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ संबंधी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेगा। इसके अंतर्गत निम्न स्तर पर जल निकाय सृजन, नदियों में लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ, जल-वितरण नेटवर्क तथा उपलब्ध जल स्त्रोतों की मरम्मत, पुर्नभंडारण का कार्य करेगा। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वर्षा जल संरक्षण, जल बहाव नियंत्रण कार्य, जल उपलब्धता के अनुसार फसल उत्पादन, कृषि वानिकी, चारागाह विकास के साथ-साथ कृषि जीविकोपार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों को भी चलाएगा। जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप, स्प्रींकलर, रेनगन आदि का उपयोग विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए किया जाएगा।

- पानी का प्रबंधन और आवंटन की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायेगा। खेती के मुख्य क्षेत्र जैसे जल मंदिर, दोंग, एरी, ऊरानिस, कुहल आदि पानी के भंडार और जलाशय को विकसित किया जायेगा, जिससे सिंचाई को बढ़ावा मिल सके।
- खेती की जमीन के पास ही जल स्त्रोत को बनाया जायेगा या उसे बड़ा किया जायेगा।
- किसानों को यह सिखाया जायेगा कि वर्षा के पानी को कैसे एकत्र किया जाता है और कैसे उसे सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल स्त्रोत किसानों को मिल सकेंगे। इस तरह के और भी अन्य नयी सोच को बढ़ावा दिया जायेगा और कृषि से जुड़े लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अधिक फसल पैदा कर सकेंगें और सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहेंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फायदे

- ऐसे प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पूरे होने के कगार पर हैं ताकि किसानों को तुरंत फायदा मिल सके।
- किसान बेहतर सिंचाई जल योजना अपना सकते हैं।
- किसान ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई योजना को अपना सकते हैं।
- इस प्रकार की तकनीक की जानकारी किसान को अपने जिले के कृषि बागवानी अधिकारी से मिल सकती है।
- किसान टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1557 से भी जानकारी ले सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कम लागत में किसानों को संवारने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा रहा कि पिछले साल कृषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई है। इस योजना से सूखे की समस्या से स्थाई तौर पर निजात मिलेगा। यही वजह है कि इस योजना में तीन प्रमुख मंत्रालयों को शामिल किया गया है। इसकी अगुवाई जल संसाधन मंत्रालय कर रहा है। हमारे देश में पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कम पानी का दोहन करने और ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर भूगर्भ को रिचार्ज करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना की सफलता से केवल किसान ही नहीं समृद्ध होंगे अपितु कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख संबंल साबित होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. सूचना के अधिकार का मजबूत होता संबल

प्र. सूचना का अधिकार क्या है? आम जन को सशक्त बनाने के लिए इसकी विशेषताओं को निरूपित करते हुए इससे होने वाले लाभ एवं चुनौतियों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- आरटीआई की आवश्यकता क्यों।
- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन से अधिकार मौजूद है।
- आरटीआई के दायरे में कौन?
- आरटीआई के फायदे।
- चुनौतियाँ।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में चुनाव आयोग से कहा है कि वह सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का ऑनलाइन जवाब देने के लिए विशेष मुहिम चलाए। चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं।

पृष्ठभूमि

- किसी भी माध्यम चाहे वो प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, ईमेल, जनमत, रिपोर्ट, कागज, संवाद, रिपोर्ट और आँकड़े, एडवर्टाइजिंग के जरिए प्राप्त ज्ञान को सूचना कहते हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की विकास यात्रा 1952 से आरम्भ होती है। 1976 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद में कहा था कि जनता बिना जानकारी के कुछ नहीं कह सकती है।

आरटीआई की आवश्यकता क्यों?

- सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है।
- आरटीआई हमें कोई नया अधिनियम नहीं देता हैं, सामान्य तौर पर यह सूचना कैसे प्राप्त करना है, आवेदन कहां करना है, शुल्क की राशि क्या है आदि बताता है।

सूचना के अधिकार के तहत कौन से अधिकार मौजूद है?

सरकार से किसी भी तरह का सवाल करने, सूचना मांगने, सरकारी दस्तावेजों की प्रति लेने, निरीक्षण करने, या नमूना लेने आदि की चर्चा करें।

आरटीआई के दायरे में कौन?

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालते, सरकारी दफ्तर, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकारी फोन कंपनिया, आदि।

आरटीआई के फायदे

आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण सूचनाओं की उपलब्धता, भ्रष्टाचार में कमी, सरकार और जनता के मध्य संबंध मजबूत सरकारी जवाबदेही आदि सुनिश्चित की जा सकती हैं कि चर्चा करें।

चुनौतियाँ

व्यापक प्रचार-प्रसार का अभाव, सरकारी इच्छा शक्ति की कमी, अदालतों की तरह लंबित मामले, न्यायिक पृष्ठभूमि से दक्ष अधिकारियों का न होना, आरटीआई का बढ़ता दुरूपयोग, कार्यालयों में टालमटोल का रवैया, राजनीतिक दलों और न्यायपालिका का इस कानून के दायरे से बाहर होना आदि को दर्शाएँ।

आगे की राह

आरटीआई अधिनियम को लागू हुए लगभग 13 साल हो गये हैं लेकिन आम नागरिको तक आरटीआई की पहुँच नहीं है। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, मानव संसाधनों की कमी को दूर करना, दक्ष एवं पेशेवर लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, बढ़ते दुरूपयोग पर रोक, जुर्माने के प्रावधान को अधिक कठोर बनाना, जहां तक संभव हो आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों तथा न्यापालिका को भी लाना चाहिए आदि की चर्चा करें।

■

2. लुक वेस्ट पॉलिसी : भारत की बढ़ती सक्रियता

प्र. भारत की 'लुक वेस्ट पॉलिसी' पर प्रकाश डालते हुए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देशों की यात्रा के महत्व एवं इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- भारत के लिये क्यों महत्वपूर्ण हैं पश्चिमी एशिया के देश।
- लुक वेस्ट नीति के लाभ।
- वर्तमान परिदृश्य।
- चुनौतियाँ।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन खाड़ी देशों फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की यात्रा 9-12 फरवरी, 2018 के बीच संपन्न की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए खाड़ी और पश्चिमी-एशिया प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र हैं।

पृष्ठभूमि

- पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से ही अच्छे रहे हैं।
- भारत की 'लुक वेस्ट पॉलिसी' की शुरूआत 2005 से होती है।
- 2005 से भारत और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंधों में और प्रगाढ़ता आयी है।

भारत के लिऐ क्यों महत्वपूर्ण हैं पश्चिमी एशिया के देश

- हाल के खाड़ी देशों के राजनयिकों के भारत दौरे तथा भारतीय राजनयिकों के पश्चिमी एशिया के दौरे इस क्षेत्र में भारत के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है।
- भारत और इजराइल के मध्य 9 समझौते हुए। भारत और यूएई के मध्य होने वाले व्यापार को 2020 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया साथ ही खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या 60 से 90 तक पहुंच गई है।

लुक वेस्ट नीति के लाभ

- भारत दुनियाँ का चौथा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी देश महत्वपूर्ण हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक आँकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।
- इन देशों से संपर्क के साथ भारत पश्चिम के देशों तक आसानी से पहुँच बना सकता है। चीन को काउण्टर करने के लिए भी खाड़ी देश महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत और फिलिस्तीन ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत को पहली बार आबूधाबी के बड़े तेल संसाधन में 10% की हिस्सेदारी मिल गई हं।
- भारत ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान जैसे देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र लिंक स्थापित किया है।
- भारत को महत्वपूर्ण दुकम पोर्ट के मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिये ओमान से प्रयोग की अनुमति मिल गई है।

चुनौतियाँ

- खाड़ी देशों की अस्थिरता भारत के लिये चिंता का विषय है।
- भारत में वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक मतभेद भी महत्वपूर्ण है।
- भारत और चीन के मध्य स्पष्ट रोड मैप की कमी की चर्चा करें।

आगे की राह

- चूँकि खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका और रूस की पहुँच 90 के दशक में अधिक थी। ऐसे में इस खाली स्थान को भरने के लिये भारत के पास एक सुनहरा मौका है।
- लुक ईस्ट नीति की तरह एक लुक वेस्ट नीति की भी आवश्यकता है।
- भारत में आंतरिक रूप से शांति व्यवस्था होनी चाहिए।

■

3. मानव तस्करीः एक सामाजिक समस्या

प्र. हाल ही में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से मानव तस्करी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। भारत में मानव तस्करी का वर्तमान रूप और उस पर सरकार द्वारा किये गये सुधारात्मक कार्यों की व्याख्या करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- मानव तस्करी क्या है?
- वर्तमान परिदृश्य।
- मानव तस्करी के कारण।
- सरकारी पहल।
- आगे की राह।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- झारखण्ड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से भारत के माध्यम से अन्य देशों में हो रहे मानव तस्करी को लेकर रिपोर्ट मांगा है।
- पिछले वर्ष भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा जारी रिपोर्ट का विरोध किया था।

मानव तस्करी क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उनके इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उससे जबरन काम कराना, अप्राकृतिक कृत्यों में लगाना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है।

वर्तमान परिदृश्य

- आइएलओ के अनुसार आधुनिक दासों का 61.78% एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं।
- भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।
- सन् 2014 में लगभग 55,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से थे।
- नई दिल्ली के पश्चिमी इलाकों में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली लगभग 1000 एजेंसियाँ मानव तस्करी के भरोसे ही फल-फूल रही हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।
- वर्ष 2016 में 23,117 पीड़ितों को छुड़ाया गया जिनमें 22,932 भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश सहित अन्य देश

के नागरिक थे।

मानव तस्करी के कारण

- मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, गरीबी तथा अशिक्षा, जबरन शादी, देहव्यापार, बंधुआ मजदूर, सामाजिक असमानता, लैंगिक असंतुलन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि मानव तस्करी के महत्वपूर्ण कारण हैं।

सरकारी पहल

- अपराधिक कानून अधिनियम 2013
- यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एण्ड क्राइम (UNODC) के साथ सहयोग।
- मानव तस्करों (रोकथाम, संरक्षण और पुर्नवास) विधेयक 2016
- Track the missing child.gov.in का विकास।

आगे की राह

- अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधा की आवश्यकता।
- रोजगार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सामाजिक सोच बदलने की आवश्यकता।
- पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच अच्छी तालमेल हो।
- अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग व एजेंटों के कृत्य को रोकना होगा।
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास किया जाये।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत मानव तस्करी का हब बन गया है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद यह दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहा है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि सरकार नियमों को कड़ाई से लागू करे और नागरिक समाज को भी सरकार का साथ देना होगा जिससे कि इस अनैतिक कृत्य को रोका जा सके।

■

4. भारत–ईरान संबंध का नया परिदृश्य

प्र. हाल ही में भारत-ईरान के बीच 9 प्रमुख समझौते हुए हैं। इस समझौते के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए भारत-ईरान के बीच संबंधों की चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- भारत–ईरान के बीच वर्तमान समझौते।
- समझौते से लाभ।
- क्यों महत्वपूर्ण है ईरान भारत के लिए।
- क्यों महत्वपूर्ण है भारत ईरान के लिए।
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 17 फरवरी 2018 को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- इस समझौते से भारत और ईरान के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिस्तों में और गहराई आयेगी।
- ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन करेगा। साथ ही उन्होंने–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया।

पृष्ठभूमि

- भारत और ईरान के बीच शताब्दियों से परस्पर और प्रभावपूर्ण संवाद होते रहे हैं।
- स्वतंत्र भारत और ईरान में 15 मार्च, 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत–ईरान के राजनयिकों का एक–दूसरे देशों में विजिट आदि की चर्चा करें।

भारत ईरान के बीच वर्तमान समझौते

दोहरे कराधान से बचने, कर चोरी रोकने, राजनयिको के वीजा छूट, प्रत्यर्पण संधि, पारम्परिक औषधि में सहयोग, चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के पहले चरण को पट्टे पर देने का अनुबंध आदि की चर्चा करें।

समझौते से लाभ

दोहरे कराधान तथा कर चोरी पर रोक, पारदर्शिता बेढ़ेगी, वीजा समझौते से राजनयिकों को लाभ, चीन, पाकिस्तान को काउण्टर करने में लाभ, औषधि समझौता, आदि की चर्चा करें।

क्यों महत्वपूर्ण है ईरान भारत के लिए

चीन के वन बेल्ट वन रोड की नीति, पाकिस्तान की गतिविधियों, भारत का मध्य एशिया में सीधे पहुँच, अफगानिस्तान में स्थिरता, भारत को ऊर्जा आपूर्ति आसान, आतंकवाद पर नियंत्रण, चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल की अनुमति आदि की चर्चा करें।

क्यों महत्वपूर्ण है भारत ईरान के लिए

ईरान को राजनीतिक समर्थन, एक बाजार, आईटी क्षेत्र में लाभ, चाबहार बंदरगाह में पेट्रो केमिकल हब लगने से ईरान महत्वपूर्ण निर्यातकर्ता देश के रूप में उभरेगा। एल.पी.जी प्लांट लगने से ईरान को एल.एन.जी. की आपूर्ति सुनिश्चित होगी आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत के लिये ईरान और खाड़ी देश आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत ईरान संबंध मजबूत होने से भारत द्वारा चीन व पाकिस्तान पर सामरिक रूप से नकेल कसा जा सकेगा। साथ ही अमेरिकी संरक्षणवाद की नीति के विरूद्ध भारत को पाश्चिमी एशिया के देश एक बाजार के रूप में मिल सकेंगे।

■

5. भारत–कनाडा सम्बन्ध में वर्तमान समझौते की अहमियत

प्र. हाल ही में भारत-कनाडा के मध्य हुए समझौते के प्रमुख बिंदुओं को दर्शाते हुए भारत-कनाडा के बीच आपसी संबंधों के महत्व का मूल्यांकन करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- वर्तमान समझौता।
- समझौते का उद्देश्य/महत्व।
- क्यों महत्वपूर्ण है भारत कनाडा संबंध।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17 फरवरी 2018 से 7 दिवसीय भारत दौरे पर थे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद के विरूद्ध हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे।
- हमारे संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत और कनाडा के बीच ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही देखने को मिलते हैं।
- राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तर पर चर्चा हुई है।
- भारत और कनाडा के बीच दो तरफा व्यापार 2010 में जहां 4.2 विलियन था वो 2014 में बढ़कर 6.04 विलियन डॉलर हो गया।

वर्तमान समझौता

साझा बयान के पहले भारत तथा कनाडा के मध्य निम्नलिखित कुल 6 मुद्दों पर समझौता हुआ:

1. इलेक्ट्रानिक,
2. पेट्रोलियम,
2. स्पोर्ट्स,
4. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
5. साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन,
6. एनर्जी।

समझौता का उद्देश्य/महत्व

- चूंकि भारत डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है और कनाडा इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में अग्रणी देश है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच हुए इलेक्ट्रानिक समझौते से भारत अपनी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर सकता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जहां हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है इस बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को नई दिशा दी जा सकती है।

क्यों महत्वपूर्ण है भारत कनाडा संबंध

- भारत के तीव्र विकास के लिए भारत और कनाडा के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध का मजबूत होना आवश्यक है।
- भारत और कनाडा के संबंध मजबूत होने से दोनों देशों के मध्य व्यापार के नये-नये मार्ग खुलेंगे तथा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- भारत और कनाडा संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा यूरेनियम से लेकर पेट्रोलियम, रसायन आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है जिससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के संबंध अपने उच्चतम बिन्दु पर हैं और इसको बनाये रखने की जरूरत है। क्योंकि भारत की तेज, सतत आर्थिक प्रगति और आर्थिक सुधार कनाडा को प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं।

■

6. विश्व कैंसर दिवस की प्रासंगिकता

प्र० वैश्विक स्तर पर कैंसर रोग की चुनौतियों और उनके समाधान में विश्व कैंसर दिवस जैसे जागरुकता अभियानों की उपयोगिता पर विचार कीजिए।

उत्तर

- चर्चा में क्यों?
- पृष्ठभूमि।
- विश्व कैंसर दिवस की आवश्यकता क्यों?
- भारत में कैंसर की स्थिति।
- कैंसर रोग का कारण।
- कैंसर रोग के समाधान के उपाय।
- निष्कर्ष।

चर्चा में क्यों

- 4 फरवरी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया गया।
- भारत में इस दिवस पर कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा रैलियाँ, सेमीनार लेक्चर आदि का आयोजन किया गया।
- कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों को किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- विश्व कैंसर दिवस का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) द्वारा वर्ष 1933 में शुरू किया गया था।
- प्रतिवर्ष एक थीम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम वीकैन, आईकैन है।
- विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य 2020 तक कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में कमी करना तथा इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है।

विश्व कैंसर दिवस की आवश्यकता क्यों?

- लोगों में कैंसर के कारणों के प्रति जागरूकता लाने तथा डब्ल्यूएचओ के कई कार्यक्रमों और रणनीतियों को गति प्रदान करने के लिए।
- वर्ष 2016 में निर्धारित की गई थीम वीकैन, आईकैन अभियान के 6 लक्ष्यों को पूरा करने हेतु।
- कैंसर के प्रति फैले कई सामाजिक मिथकों के उन्मूलन हेतु।

भारत में कैंसर की स्थिति

- भारत में प्रतिवर्ष 7 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं।
- 14 लाख नए मामले कैंसर के उत्पन्न होते हैं।
- भारत में 40% कैंसर सिर्फ तम्बाकू के सेवन से होता है।
- तम्बाकू उत्पादों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी जिसका राज्यों ने पूर्ण रूप से पालन नहीं किया।
- भारत में कैंसर के उपचार हेतु भारतीय सरकार द्वारा किए गए अत्यधिक खर्च से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुँचती है।

कैंसर रोग का कारण

- कैंसर मुख्यत: शरीर की कोशिकाओं के समूह के अनियंत्रित वृद्धि से होता है।
- कैंसर कई प्रकार का होता है और उनके अत्पन्न होने के कई अलग-अलग कारण हैं।
- त्वचीय कैंसर का प्रमुख कारण पराबैंगनी किरणों और विकिरण प्रदूषण है।
- धूम्रपान, शराब का सेवन तथा तम्बाकू का सेवन आदि प्रमुख चुनौतियाँ है।
- महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरूषों में लंग्स कैंसर सर्वाधिक होते हैं जिसे कम करना एक चुनौती है।

कैंसर से निपटने के उपाय

- कैंसर की बीमारी के रोकथाम के लिए जागरूकता ही एक मात्र बेहतर समाधान हो सकता है।
- भारत सरकार व विश्व के सभी देशों को इसके लिए कई कार्यनीतियों को अपनाना होगा।
- तम्बाकू और शराब आदि के प्रति सरकार को रोकथाम करनी होगी।

निष्कर्ष

- वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ना होगा तथा इन कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए नई रणनीतियों को इसमें शामिल करना होगा तभी हम कैंसर मुक्त समाज निर्मित कर सकते हैं।

■

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : समृद्धि की गाथा

प्र. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? भारतीय किसानों की समृद्धि की गाथा लिखने में यह किस प्रकार मील का पत्थर साबित हो रही है? चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- मुख्य उद्देश्य।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आवश्यकता क्यों?
- योजना के तहत चलने वाले प्रमुख कार्यक्रम।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फायदे।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद में 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री हर खेत को पानी' योजना के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम, सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बजट 2018-19 में 2600 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

पृष्ठिभूमि

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को किया गया।

मुख्य उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाना है। इस योजना का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी न किसी तरह से सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आवश्यकता क्यों?

हमारे देश में विश्व की कुल आबादी का 17 प्रतिशत जनसंख्या तथा 11.3 प्रतिशत पशुधन निवास करते हैं, जबकि अपने देश में विश्व का मात्र 4 प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है। देश में कुल 20.08 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें से मात्र 9.58 करोड़ हेक्टेयर भूमि ही सिंचित है। अत: इसके लिए जल उपलब्ध कराना एक चुनौती है।

योजना के तहत चलने वाले प्रमुख कार्यक्रम

इस योजना के तहत जल संरक्षण, पानी का प्रबंधन और आवंटन की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा खेती के जमीन के पास ही जल स्त्रोत को बनाये जाने एवं उसके समुचित प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फायदे

इस योजना के द्वारा किसानों को सिंचाई की नई-नई तकनीकों के प्रयोग से अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि कम लागत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सके।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कम लागत में किसानों को संवारने की कोशिश की गई है। 'हर खेत को पानी' की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसकी सफलता भारत की समृद्धि की गाथा लिखेगी।

■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. एशियन कुश्ती चैंपियनशिप : नवजोत कौर ने जीता गोल्ड

- किर्गिस्तान के बिश्केक में हो रही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में नवजोत कौर ने 65 किलोग्राम फ्री-स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। खास बात यह है कि नवजोत ने जिस प्रतियोगी को फाइनल में हराया उससे वह प्रतियोगिता के पहले मैच हार गई थी।
- भारत के लिए गोल्ड की उम्मीद रखने वाली पहलवान साक्षी मलिक 62 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज ही जीत सकी।

- फाइनल मुकाबले में नवजोत ने जापानी महिला पहलवान मीयू इमाई को 9-1 से पराजित किया और पहले मैच में मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया। इस उपलब्धि के साथ ही एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली नवजोत पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं।
- भारत की ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वजन वर्ग में ब्रांज मेडल जीता। साक्षी ने ब्रॉज मेडल के लिए हुए मैच में कजाकिस्तान की अयोलिम काश्ममोवा को 10-7 से हराकर मैच और मेडल जीता।
- वहीं इससे पहले विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की चुन लेई से हार कर सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था।
- कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता विनेश को चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में एक अन्य भारतीय पहलवान संगीता ने 59 किग्रा वर्ग में कोरिया की जियुन उम को पटखनी देकर ब्रांज मेडल अपने नाम करने में कामयाब रहीं।
- भारत का इस प्रतियोगिता में यह पहला गोल्ड मेडल है और इन मेडलों के साथ भारत के कुल मेडलों की संख्या 6 पहुंच गई है, जिनमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल शामिल हैं। ■

2. भारत, रूस और बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए समझौता

ढाका, बांग्लादेश के निकट रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग के लिए भारत, बांग्लादेश और रूस ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह तीसरी दुनिया में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत-रूस परमाणु समझौते के तहत पहली पहल है। यह विदेश में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उद्यम भी होगा

रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

रूपपुर परमाणु परियोजना में 2×1200 मेगावाट की क्षमता है। यह बांग्लादेश की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना है यह ढाका के पास रूस की मदद से बनाया जा रहा है। इस संयंत्र की स्थापना के बाद, बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा दक्षिण एशियाई देश बन जाएगा।

रूस एक टर्नकी आधार पर इस संयंत्र के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। इसका अर्थ है कि ठेकेदार इस परियोजना को पूरी करेंगे और संयंत्र में पैदा होने वाली किसी भी समस्या के लिए वे उत्तरदायी होंगे। रूस के माध्यम से उपकरण, निर्माण, स्थापना, शुरूआती के डिजाइन, उत्पादन और आपूर्ति शामिल है।

भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का सदस्य नहीं है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण में सीधे भाग नहीं लेंगे। लेकिन, भारतीय कंपनियां निर्माण और स्थापना कार्यों और गैर-महत्वपूर्ण श्रेणी के उपकरणों की आपूर्ति में शामिल होंगी।

पृष्ठभूमि

दिसंबर 2014 में, भारत और रूस ने तीसरे देशों में रूसी-डिजाइन किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए भारतीय उद्योग से सामग्री, उपकरण और सेवाओं के स्रोतों के अवसरों का पता लगाने के लिए 'परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए सामरिक विजन' पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, भारत ने अप्रैल 2017 में बांग्लादेश के साथ दो और समझौतों के साथ एक असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों पक्ष परमाणु बिजली संयंत्र के लिए उपकरण, सामग्री की आपूर्ति और निर्माण कर सकते हैं। ■

3. सूर्य को ऊष्मा देने वाली चुंबकीय तरंगों का रहस्य सुलझा

क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के वैज्ञानिकों ने एक शोध के तहत यह घोषणा की है कि उन्होंने चुंबकीय तरंगों से सूर्य को प्राप्त होने वाली ऊष्मा के रहस्य को सुलझा लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकीय तरंगों के कारण सूर्य के वातावरण पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा गर्म हवाएं चलती हैं।

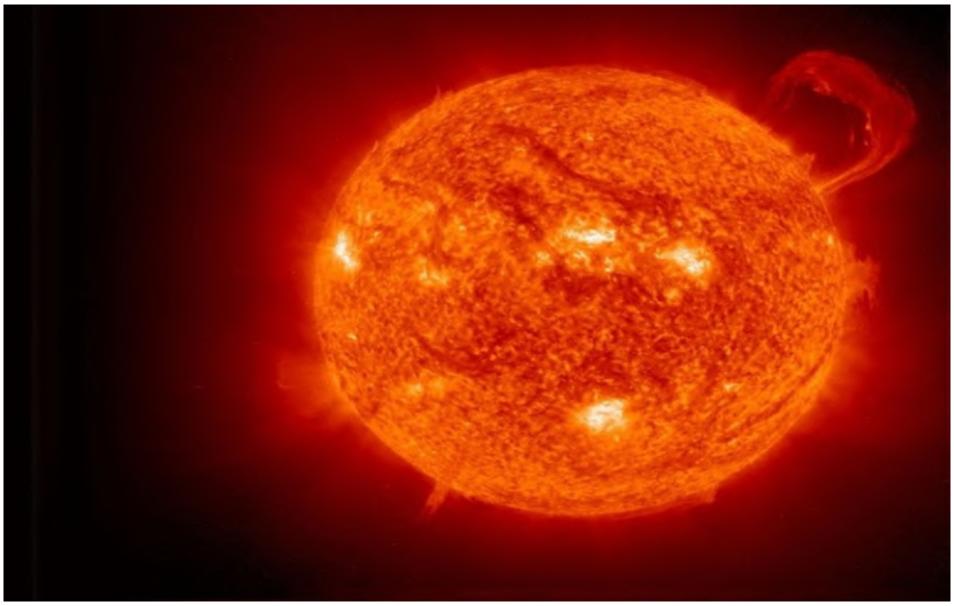

मुख्य तथ्य

- लंबे समय से वैज्ञानिक यह दावा कर रहे थे कि यह तरंगें सूर्य के अत्यधिक गर्म धरातल का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती हैं। क्वीन्स यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये शोध में यह सिद्ध किया गया।
- यह माना जा रहा था कि अल्फवेन तरंगें सूर्य के धरातल से ऊपर की ओर उठती हैं तथा उसके वातावरण को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पिछले एक दशक में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि अल्फवेन तरंगें मौजूद तो हैं लेकिन उनकी मूवमेंट का ऊष्मा में परिवर्तित होने का प्रमाण नहीं मिल सका था.
- इस शोध में वैज्ञानिकों ने न्यू मेक्सिको में उच्च-क्षमता वाले डन सोलर टेलिस्कोप तथा नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जरवेटरी का उपयोग करते हुए सूर्य की चुंबकीय फील्ड्स का अध्ययन किया।
- यह चुंबकीय तरंगें ठीक उसी प्रकार बहुत अधिक प्रभावशाली हैं जैसे कि मॉडर्न एमआरआई मशीनों में चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- सूर्य के प्रकाश को इसके घटक रंगों में बांटकर अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने सूर्य के वायुमंडल में मौजूद तत्वों जैसे कैल्शियम तथा आयरन की जांच की।
- शोध में प्राप्त प्रमाणों का सुपरकंप्यूटर पर अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि अल्फवेन तरंगें प्लाज्मा के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं जिससे सूर्य के वायुमंडल में तेजी से परिवर्तन होता है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 1942 में स्वीडिश वैज्ञानिक एवं इंजिनियर हनेस अल्फवेन ने दावा किया था कि सूर्य के प्लाज्मा पर चुंबकीय गतिविधियां दिखने पर एक नई प्रकार की तरंगों का आभास होता है। उनके इस शोध के कारण उन्हें वर्ष 1970 में भौतिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार दिया गया। उनके इस दावे के बाद इन तरंगों को अल्फवेन तरंगों के नाम से जाना गया। यह तरंगें परमाणु संयंत्रों, गैस के बादलों, धूमकेतु के आसपास, वेधशाला परीक्षण तथा एमआरआई में शामिल होती हैं।

■

4. कृष्णा कुमारी पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिन्दू सीनेटर बनी

- कृष्णा कुमारी पाकिस्तान में सीनेटर (राज्यसभा सांसद) चुनी जाने वालीं पहली हिंदू महिला बन गई हैं।
- कृष्णा कुमारी बिलावल भट्टो जरदारी के नेतृत्व वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) की तरफ से चुनी गई हैं।
- कृष्णा कुमारी ने सिंध प्रांत की उस सीट से जीत हासिल की है जो महिलाओं के लिए आरक्षित थी. कृष्णा कुमारी ने चुनाव में तालिबान से जुड़े एक मौलाना को हराया है.
- 39 वर्षीय कृष्णा की जीत पाकिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले पीपीपी की रत्ना भगवानदास चावला पहली हिंदू महिला सीनेटर चुनी गई थीं।
- कृष्णा सिंध प्रांत के थार जिले के नागरपारकर गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म फरवरी 1979 में हुआ था। उनके पिता जुगनू कोलही गरीब किसान हैं।
- कृष्णा और उनके परिजनों को उमेरकोट जिले में कुनरी के जमींदार की निजी जेल में तीन साल बिताना पड़ा था। इस दौरान वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थीं।
- 16 साल की उम्र में लालचंद से उनकी शादी हुई। तब वह नौवीं की पढ़ाई कर रही थीं। शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 2013 में सिंध यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की।
- कृष्णा और उनके भाई सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पीपीपी में शामिल हुए थे।
- कृष्णा ने थार और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए काम किया। वह स्वतंत्रता सेनानी रूपलो कोलही के परिवार से आती हैं।
- रूपलो ने 1857 में अंग्रेज सेना के खिलाफ सिंध में लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 22 अगस्त 1858 को फांसी पर चढ़ा दिया था

■

5. सऊदी अरब : पहली बार महिला को उपमंत्री नियुक्त किया गया

सऊदी अरब में शाह सलमान ने डॉक्टर तमाजिर बिन युसूफ अलरमाह को उप श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया है जो कि सऊदी अरब में किसी महिला की पहली नियुक्ति है। डॉ. तमदर को सऊदी के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके काम के अतिरिक्त उन्हें समाज कल्याण और परिवार एजेंसी के सुपरवाइजर के लिए भी नियुक्त किया गया है।

अल रमाह 2016 में सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग की प्रतिनिधि थी और वह एक एकादमिक भी हैं जो किंग सऊद विश्वविद्यालय में फैकल्टी (टीचर) के तौर पर काम करती है। वह मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मेडिसिन और मानव विज्ञान में पीएच.डी. कर रहीं है। 2007 में वह रेडियोलॉजी और मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में फैकल्टी रह चुकी है।

उन्होंने 2003 में वेल्स बैंकोर यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर की डिग्री हासिल की. अल-रममाह ने अपनी बैचलर्स की डिग्री रियाद के किंग सऊद विश्वविद्यालय से हासिल की है. शाह सलमान ने उच्च सैनिक अधिकारियों और कई उपमंत्रियों को हटाकर उनकी जगह नौजवान अधिकारी को महत्वपूर्ण आर्थिक और रक्षा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है।

आधिकारिक मिडिया में छपी शाही फरमान के मुताबिक, सऊदी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर हो गए हैं। इस जगह फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज बिन हामिद अल-रावीली को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा देश की हवाई और नौसेना में भी कई नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इस प्रावधान के मुताबिक, आर्थिक और रक्षा मामलों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों में कई नए मंत्रियों बनाये गये हैं। ■

6. मार्शल आइलैण्ड की वर्चुअल करेंसी

मार्शल आइलैंड ने हाल ही में विश्व की पहली कानूनी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो-करेंसी लॉन्च की ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके एवं बिल इत्यादि भरने के लिए कैश जुटाया जा सके। यहां की पार्लियामेंट ने डिजिटल करेंसी को मान्यता देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी भी प्रदान की है। क्रिप्टो-करेंसी जारी करने के लिए मार्शल आइलैंड के अधिकारियों ने इजराइल की कम्पनी नीमा के साथ समझौता किया है। नीमा 24 मिलियन यूनिट डिजिटल करेंसी एसओवी जारी करेगी। महंगाई से बचने के लिए इसे सीमित संख्या में जारी किया जायेगा।

विशेष

मार्शल आइलैंड विश्व का पहला देश है जिसने क्रिप्टो-करेंसी को मान्यता दी तथा इसे पार्लियामेंट में विधेयक लाकर मंजूरी भी दी। इससे पहले किसी भी अन्य देश में डिजिटल करेंसी को इतना महत्व नहीं दिया गया था। इस डिजिटल करेंसी को आइलैंड में अमेरिकी डॉलर के समतुल्य पेमेंट के लिए उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान समय में इस आइलैंड पर अमेरिकी डॉलर का ही बतौर करेंसी प्रयोग किया जाता है।

इससे पहले वेनेजुएला ने भी अपनी स्वयं की क्रिप्टो-करेंसी 'पेट्रो' लॉन्च की थी लेकिन इसे संसद में मंजूरी नहीं दी गयी थी।

क्या है योजना?

मार्शल आइलैंड की योजना के अनुसार कुछ डिजिटल करेंसी को चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को बेचा जायेगा तथा बाकी कार्यों में लगाया जायेगा। विदेशी निवेशकों को छह मिलियन एसओवी दिए जायेंगे तथा इससे जुटाई जाने वाली मुद्रा से बजट को सहायता दी जायेगा, जलवायु-परिवर्तन कार्यक्रमों तथा अमेरिकी परमाणु परीक्षणों से प्रभावित लोगों की सहायता की जाएगी।

मार्शल आइलैंड पर जारी की जाने वाली 24 मिलियन क्रिप्टो-करेंसी में से आधी सरकारी खजाने में जाएगी जबकि आधी राशि को इजराइल की वित्तीय तकनीकी कंपनी को परियोजना शुरू करने के लिए दिया जायेगा। आइलैंड के नागरिकों को 2.4 मिलियन एसओवी प्राप्त होंगे। ■

7. बालकृष्ण दोषी को प्रित्जर पुरस्कार

90 वर्षीय भारतीय आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। दोषी भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। दोषी पेरिस के मशहूर आर्किटेक्ट ले कर्बुजियर के साथ काम कर चुके हैं। वर्तमान में वे चंडीगढ़ शहर के डिजाइन पर काम कर रहे हैं। उन्हें साल 2018 के प्रित्जकर प्राइज के लिए नामित किया गया है। बता दें कि प्रित्जकर प्राइज आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसकी तुलना ऑस्कर से की जाती है।

लो-कॉस्ट कामों के लिए जाने जाने वाले बालकृष्ण दोषी स्वतंत्रता के बाद सबसे प्रभावी आर्किटेक्ट के रुप में प्रसिद्ध हुए हैं। इसके साथ ही वे इस तरह के प्रतिष्ठित अवॉर्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी।

प्रित्जकर ज्यूरी ने कहा कि दोषी ने हमेशा एक गंभीर आर्किटेक्चर पर काम किया है साथ

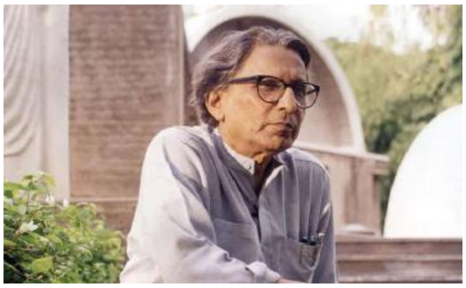

ही ये हमेशा ट्रेंड भी किया है। ज्यूरी द्वारा प्रशंसा करते हुए कहा गया कि उनकी कला में गहरी जिम्मेदारी का भाव छिपा होता है साथ ही देश को कुछ योगदान देने की इच्छा भी छिपी होती है।

परिचय

1927 में पुणे में फर्नीचर का काम करने वाले एक परिवार में जन्मे बालकृष्ण दोषी ने मुंबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। इसके बाद वे 1951 में ले कर्बुजियर के साथ काम करने के लिए पेरिस आ गए। इसके बाद 1954 को वे अपनी कला को भारत में गढ़ने वापस स्वदेश आ गए। यहां उन्होंने अहमदाबाद और चंडीगढ़ में अपने आर्किटेक्चर का नमूना दिखाया। मिल ओनर्स एसोसियेशन बिल्डिंग इसके अहम उदाहरण है।

विशेष

बालकृष्ण दोषी ने आइआइएम अहमदाबाद में लुईस कान के साथ भी 1960 में काम किया है। अपने प्रोजेक्ट में उन्होंने दो बिल्डिंग के बीच खाली स्थान ना छोड़ने के प्रयासों पर काम किया। उन्होंने चंड़ीगढ़ में इस तरह के कई उदाहरण पेश किए हैं। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने घनी सड़कें, वेल सेटल्ड गलियों के पैटर्न को डिजाइन किया है। उन्होंने लिखा है कि किसी शहर के आर्किटेक्ट में सोशल लाइफस्टाइल का दिखना जरुरी होता है। 1989 में इंदौर में बना लो-कोस्ट हाउसिंग, जिसमें 80,000 लोग रहते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हें 1995 में आर्किटेक्चर के लिए आगा खान अवॉर्ड मिला।

■

राष्ट्रीय

1. मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संसद में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को रखने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी।

ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के ऐसे अपराध इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।

विधेयक की मुख्य बातें

i) किसी व्यक्ति के भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना।

ii) अपराध के जरिए भगोड़ा आर्थिक के रूप में घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना।

iii) भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना।

iv) अपराध के फलस्वरूप व्युतपन्न संपत्ति के चलते भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना।

v) ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त करना।

vi) भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना, और

vii) अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी।

तथापि, ऐसे मामले में जहाँ किसी व्यक्ति के भगोड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्यवाही की प्रक्रिया के समानांतर भगोड़ा आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत कानून कार्यवाही रोक दी जाएगी।

सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय जैसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाखिल करने के लिए समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में समन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए प्रशासन की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

नीति का क्रियान्वयन व लक्ष्य

- वर्तमान कानूनों में व्याप्त कमियों के परिहार व भारतीय न्यायलों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति के निरोधात्मक तय करने के दृष्टिगत, यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है।
- इस विधेयक में किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए एक न्यायालय (धन-शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विशेष न्यायालय) का प्रावधान किया गया है।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरूद्ध किसी सूचीबद्ध अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और जिसने आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है अथवा विदेश में रह रहा है और आपराधिक अभियोजन का समाना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर रहा है।
- आर्थिक अपराधों की सूची को इस विधेयक की तालिका में अंतर्विष्ट किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामले में न्यायालयों पर कार्य का ज्यादा भार न पड़े, केवल उन्हीं मामलों की इस विधेयक की परिसीमा में लाया गया है, जहाँ ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए या अधिक की राशि अन्तर्विष्ट हो।

■

2. बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र

- 26 फरवरी, 2018 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग एवं जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने आईआईटी चेन्नई में 'बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र' (NTCPWC) की आधारशिला रखी।
- यह बंदरगाहों, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अन्य संस्थानों के लिए इंजीनियरिंग व तकनीकी जानकारी तथा सहायता प्रदान करने के लिए शिपिंग मंत्रालय

की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगी।

- इस केंद्र को स्थापित करने में 70.53 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसे शिपिंग मंत्रालय आईडब्ल्यूएआई और बड़े बंदरगाहों द्वारा साझा करेंगे।
- यह केंद्र स्वदेशी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करेगा।
- साथ ही यह तकनीकी दिशा-निर्देशों मानदंडों और पोर्ट संबंधी समस्याओं व समुद्री मसलों को मॉडल और सिमुलेशन के साथ रेखांकित करेगा।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना शिपिंग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के तहत की गई है। ■

3. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

01 मार्च 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद, पूर्ण कालिक सदस्यों के तीन पदों, और एनएफआरए के लिए सचिव के एक पद के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

- एनएफआरए की स्थापना एवं उसके अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।
- इस प्राधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लेखा परीक्षा के कार्य, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाये गये परिवर्तनों में से एक है।
- इसके माध्यम से स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखापरीक्षा मानकों को लागू करना है, लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना व लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना है।

- इसके अलावा कंपनियों की वित्तीय स्थिति के प्रकटीकरण में निवेशक और सार्वजनिक तंत्र का विश्वास में वृद्धि करना है।

मंजूरी से संबंधित मुख्य तथ्य

- चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार आईसीएआई की व्याप्त विनियामक भूमिका सामान्य रूप से उनके सदस्यों तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा के संबंध में विशेष रूप से जारी रहेंगी।
- अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत सनदी लेखाकारों और उनकी फर्मों की जांच करने हेतु एनएफआरए का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा वृहद गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को कार्य क्षेत्र में लाना है, जोकि नियमों में निर्धारित अपेक्षा के अयोग्य है। ■

4. चैम्पियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चैम्पियन क्षेत्रों के संवर्धन और उनकी सामर्थ्य को समझने के उद्देश्य से 12 निर्धारित चौम्पियन सेवा श्रेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथेय सेवाएँ, चिकित्सा मूल्यांकन भ्रमण, परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएँ, लेखा और वित्तर सेवाएँ, दृश्य, श्रव्यगत सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, संचार सेवाएं, निर्माण और उससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और शिक्षा सेवाएं शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने इन क्षेत्रों से संबद्ध मंत्रालयों/ विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि निर्धारित चैम्पियन सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने और उनके कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध क्षेत्रीय मसौदा योजनाओं का इस्तेमाल करें। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को कार्य योजना को अंतिम रूप देना होगा और मंत्रिमंडल सचिव के अंतर्गत सचिवों की समिति की सम्पूर्ण देख-रेख में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र के साथ कार्यान्वयन क्रम विकास होगा।

चैम्पियन क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य योजनाओं की पहलों को सहायता देने के लिए 5000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस पहल से केन्द्रित और निगरानी की गई कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे जीडीपी दर बढ़ेगी, अधिक नौकरियाँ सृजित होगी और वैश्विक बाजारों के लिए निर्यात बढ़ेगा।

पृष्ठभूमि

सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री को भेजी गई अपनी सिफारिशों में 10 चैम्पियन क्षेत्र निर्धारित किए। इनमें सात निर्माण संबंधी क्षेत्र और तीन सेवा क्षेत्र हैं। चौम्पियन क्षेत्रों के संवर्धन और उनकी सामर्थ्य को हासिल करने के लिए यह फैसला किया गया कि 'मेक इन इंडिया' का प्रमुख विभाग 'औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) निर्माण में चैम्पिन क्षेत्रों की पहल में प्रमुख भूमिका निभाएगा और वाणिज्य विभाग सेवाओं में चैम्पियन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित पहल के साथ समन्वय कायम करेगा। इसके बाद वाणिज्य विभाग साझेदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के साथ अनेक सेवा क्षेत्रों के लिए आरंभिक क्षेत्रीय सुधार योजनाओं का मसौदा तैयार करने और इसके बाद कार्य योजना तैयार करने के लिए सहयोग करेगा।

■

5. स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट

- पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, लेकिन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके अनुरूप प्रगति नहीं हो सकी है।
- वर्ष 1991 से 2015 के बीच भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ प्रमुख सुधार किए, जैसे जन्म पर जीवन प्रत्याशा में लगभग 10 वर्षों की वृद्धि हुई, नवजात शिशु मृत्यु दर (IMR) घटकर आधे से भी कम हो गई, तथा मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में 60 प्रतिशत से भी अधिक की कमी दर्ज की गई।
- 9 फरवरी, 2018 को नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई।
- इस रिपोर्ट का शीर्षक है, ''स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत'' (Healthy States] Progressive India)।
- विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्र के निष्पादन (Performance) की विविधता एवं जटिलता को समझने एवं उसका मापन करने के लिए एक वार्षिक 'सुव्यवस्थित साधन' (Systematic Tool) के विकास हेतु यह देश में प्रथम प्रयास है।
- इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिमान परिवर्तन (Incremental Change) के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन के आधार पर भी रैंक (Rank) प्रदान की गई है।
- यह सूचकांक 23 संकेतकों (Indicators) पर आधारित है, जिनका प्रयोग कंपोजिट सूचकांक स्कोर की गणना कर समग्र प्रदर्शन रैंक तथा वृद्धिमान रैंक तैयार करने के लिए किया गया है।
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन में वार्षिक वृद्धिमान परिवर्तन के मापन के लिए दो समयावधियों यथा आधार वर्ष (Base Year) तथा संदर्भ वर्ष (Reference Year) के आंकड़ों पर विचार किया गया है।
- आधार वर्ष, 2014-15 के दौरान जबकि संदर्भ वर्ष, 2015-16 के दौरान राज्यों के प्रदर्शन को कवर करता है।
- वृद्धिमान रैंक इन दो समयावधियों के मध्य प्रदर्शन में अंतर (Difference) की माप है।
- समान तत्वों के मध्य तुलना को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न तीन श्रेणियों में रैंक प्रदान की गई है:- (i) बड़े राज्य, (ii) छोटे राज्य तथा (iii) केंद्र शासित प्रदेश। ■

6. कुथियोत्तम अनुष्ठान

हाल ही में केरल राज्य आयोग ने बाल अधिकारों के रक्षा के लिए कुथियोतम प्रथा के संदर्भ में स्वतः संधान लेते हुए केस दर्ज किया है। आयोग इस बात की जाँच करेगा कि इस प्रथा के दौरान बच्चों का उत्पीड़न किया जाता है या नहीं।

- कुथियोत्तम अनुष्ठान आमतौर पर केरल के तिरुवनंतपुरम में अटुकल भगवती मंदिर में पोंगल त्योहार के दौरान हर साल मनाया जाता है।
- विदित हो कि इसके साथ विवाद का मुख्य करण कुथियोत्तम अनुष्ठान में बच्चो के द्वारा किया जाने वाला अनुष्टान है, जिसमे उन्हें शोषित होना पड़ रहा है।
- अट्टुकल पोंगल महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है। यह उत्सव तिरुवनंतपुरम से 2 किलोमीटर दूर देवी के प्राचीन मंदिर में मनाया जाता है।
- 10 दिनों तक चलने वाले पोंगल उत्सव की शुरुआत मलयालम माह मकरम-कुंभम (फरवरी-मार्च) के भरानी दिवस (कार्तिक चंद्र) को होती है।
- पोंगल एक प्रकार का व्यंजन है, जिसे गुड़, नारियल और केले के निश्चित मात्रा को मिलाकर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह देवी का पसंदीदा पकवान है।
- अट्टुकल पोंगल में धार्मिक कार्य प्रातःकाल ही शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक चढ़ावा तैयार कर दिया जाता है।पोंगल के दौरान पुरुषों का मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है।
- मुख्य पुजारी देवी की तलवार हाथों में लेकर मंदिर प्रांगण में घूमता है और भक्तों पर पवित्र जल और पुष्प वर्षा करता है। ■

7. UIDAI ने 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 'बाल आधार' जारी किया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नीले रंग का 'बाल आधार' कार्ड जारी करने की घोषणा की है।

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता में से किसी भी एक के आधार कार्ड के नंबर के जरिए 'बाल आधार' बनवाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही बच्चा पांच साल की उम्र पार कर लेगा उसके बाद उसका वैरिफिकेशन करवाना होगा।

विदित हो कि पांच साल से कम आयु के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमीट्रिक डिटेल्स की जरूरत नहीं होगी। पांच वर्ष से बड़े बच्चे के लिए आधार में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा उसे एक बार फिर सामान्य आधार में अपडेट करवाना होगा. बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निशुल्क होगा।

बाल आधार बनवाने की प्रक्रिया

- बाल आधार बनवाने के लिए नामांकन केंद्र जा कर फॉर्म भरना होगा।
- पंजीकरण के समय एक मोबाइल नंबर भी देना होगा।
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और एक अभिभावक का आधार नंबर देना होगा।
- पांच साल से छोटे बच्चे की एक फोटो ली जाएगी।
- बच्चे का 'आधार' उसके माता/पिता के यूआईडी (आधार कार्ड नंबर) से लिंक किया जाएगा।
- जब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आएगा।
- यह SMS आने के 60 दिनों के भीतर बच्चे का आधार कार्ड नंबर मिला जाएगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

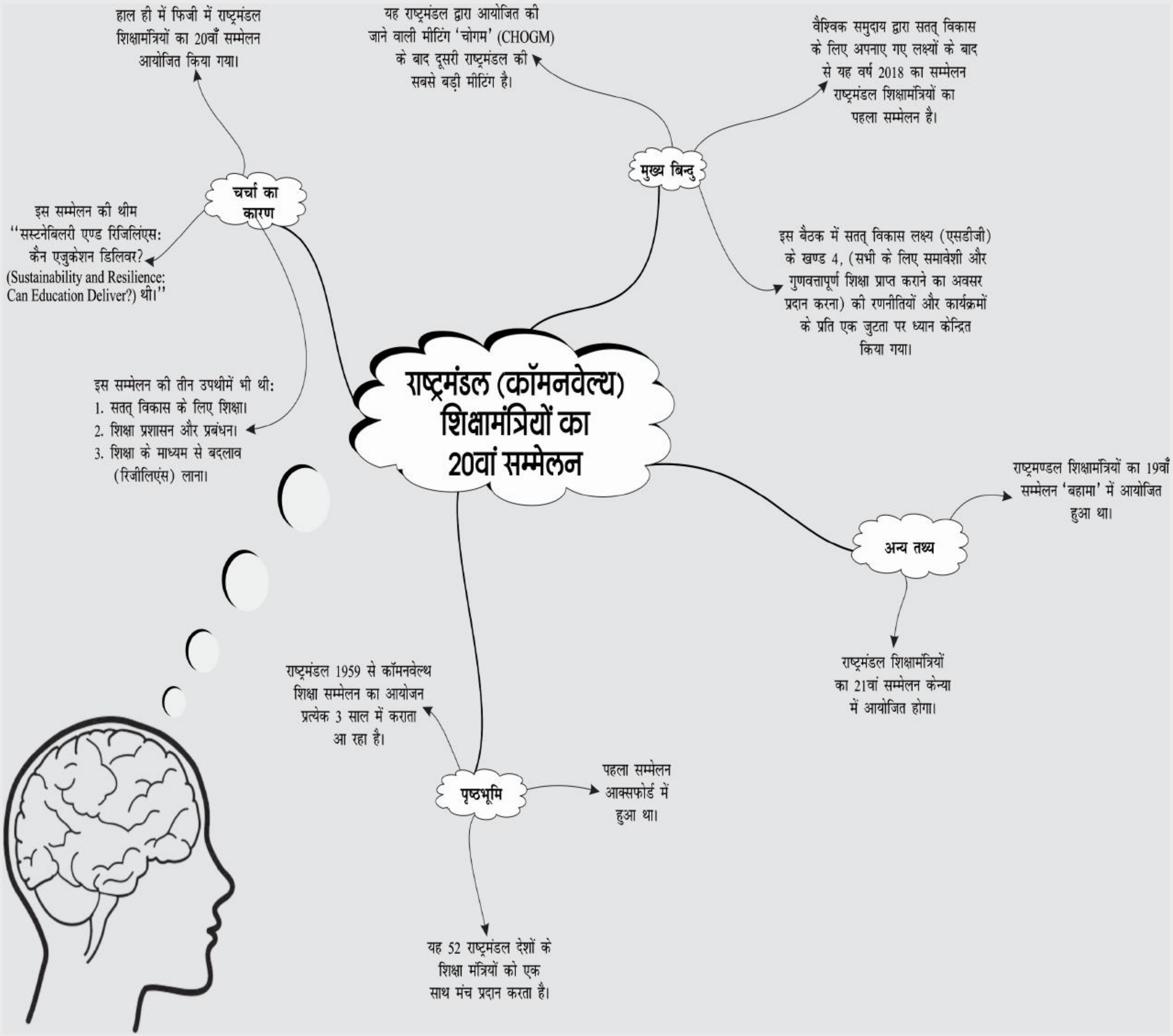
राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) शिक्षामंत्रियों का 20वां सम्मेलन
चर्चा का कारण
हाल ही में फिजी में राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का 20वाँ सम्मेलन आयोजित किया गया।
इस सम्मेलन की थीम "सस्टनेबिलरी एण्ड रिजिलिंएस: कैन एजुकेशन डिलिवर? (Sustainability and Resilience: Can Education Deliver?) थी।"
इस सम्मेलन की तीन उपथीमें भी थी:
1. सतत् विकास के लिए शिक्षा।
2. शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन।
3. शिक्षा के माध्यम से बदलाव (रिजीलिएंस) लाना।
मुख्य बिन्दु
यह राष्ट्रमंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली मीटिंग 'चोगम' (CHOGM) के बाद दूसरी राष्ट्रमंडल की सबसे बड़ी मीटिंग है।
वैश्विक समुदाय द्वारा सतत् विकास के लिए अपनाए गए लक्ष्यों के बाद से यह वर्ष 2018 का सम्मेलन राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का पहला सम्मेलन है।
इस बैठक में सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) के खण्ड 4, (सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करना) की रणनीतियों और कार्यक्रमों के प्रति एक जुटता पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
अन्य तथ्य
राष्ट्रमण्डल शिक्षामंत्रियों का 19वाँ सम्मेलन 'बहामा' में आयोजित हुआ था।
राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का 21वां सम्मेलन केन्या में आयोजित होगा।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रमंडल 1959 से कॉमनवेल्थ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 साल में कराता आ रहा है।
पहला सम्मेलन आक्सफोर्ड में हुआ था।
यह 52 राष्ट्रमंडल देशों के शिक्षा मंत्रियों को एक साथ मंच प्रदान करता है।

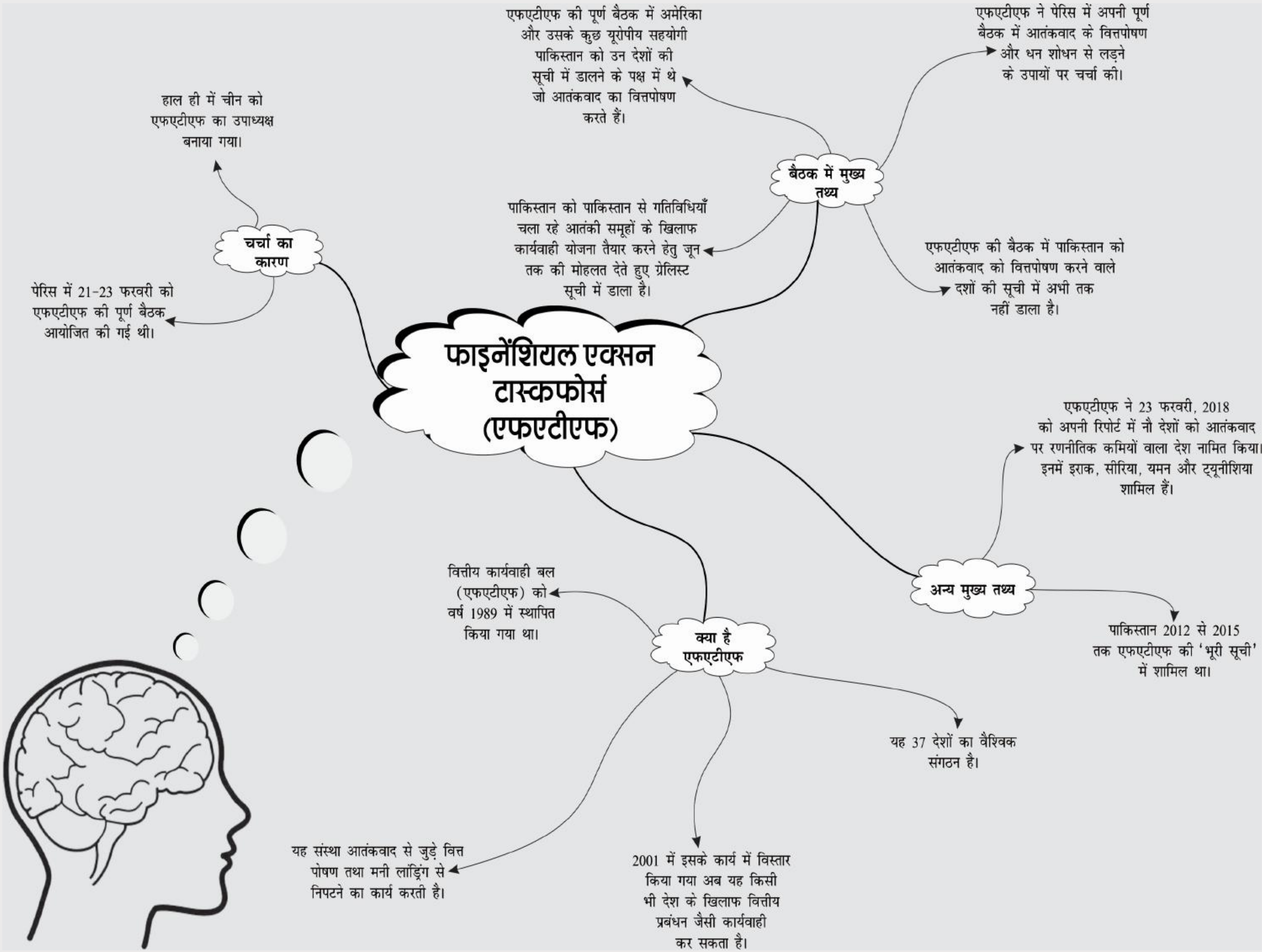
फाइनेंशियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)
बैठक में मुख्य तथ्य
एफएटीएफ ने पेरिस में अपनी पूर्ण बैठक में आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से लड़ने के उपायों पर चर्चा की।
एफएटीएफ की पूर्ण बैठक में अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय सहयोगी पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डालने के पक्ष में थे जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं।
पाकिस्तान को पाकिस्तान से गतिविधियाँ चला रहे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्यवाही योजना तैयार करने हेतु जून तक की मोहलत देते हुए ग्रेलिस्ट सूची में डाला है।
एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद को वित्तपोषण करने वाले दशों की सूची में अभी तक नहीं डाला है।
चर्चा का कारण
हाल ही में चीन को एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बनाया गया।
पेरिस में 21-23 फरवरी को एफएटीएफ की पूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।
अन्य मुख्य तथ्य
एफएटीएफ ने 23 फरवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट में नौ देशों को आतंकवाद पर रणनीतिक कमियों वाला देश नामित किया। इनमें इराक, सीरिया, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं।
पाकिस्तान 2012 से 2015 तक एफएटीएफ की 'भूरी सूची' में शामिल था।
क्या है एफएटीएफ
वित्तीय कार्यवाही बल (एफएटीएफ) को वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था।
यह 37 देशों का वैश्विक संगठन है।
यह संस्था आतंकवाद से जुड़े वित्त पोषण तथा मनी लांड्रिंग से निपटने का कार्य करती है।
2001 में इसके कार्य में विस्तार किया गया अब यह किसी भी देश के खिलाफ वित्तीय प्रबंधन जैसी कार्यवाही कर सकता है।

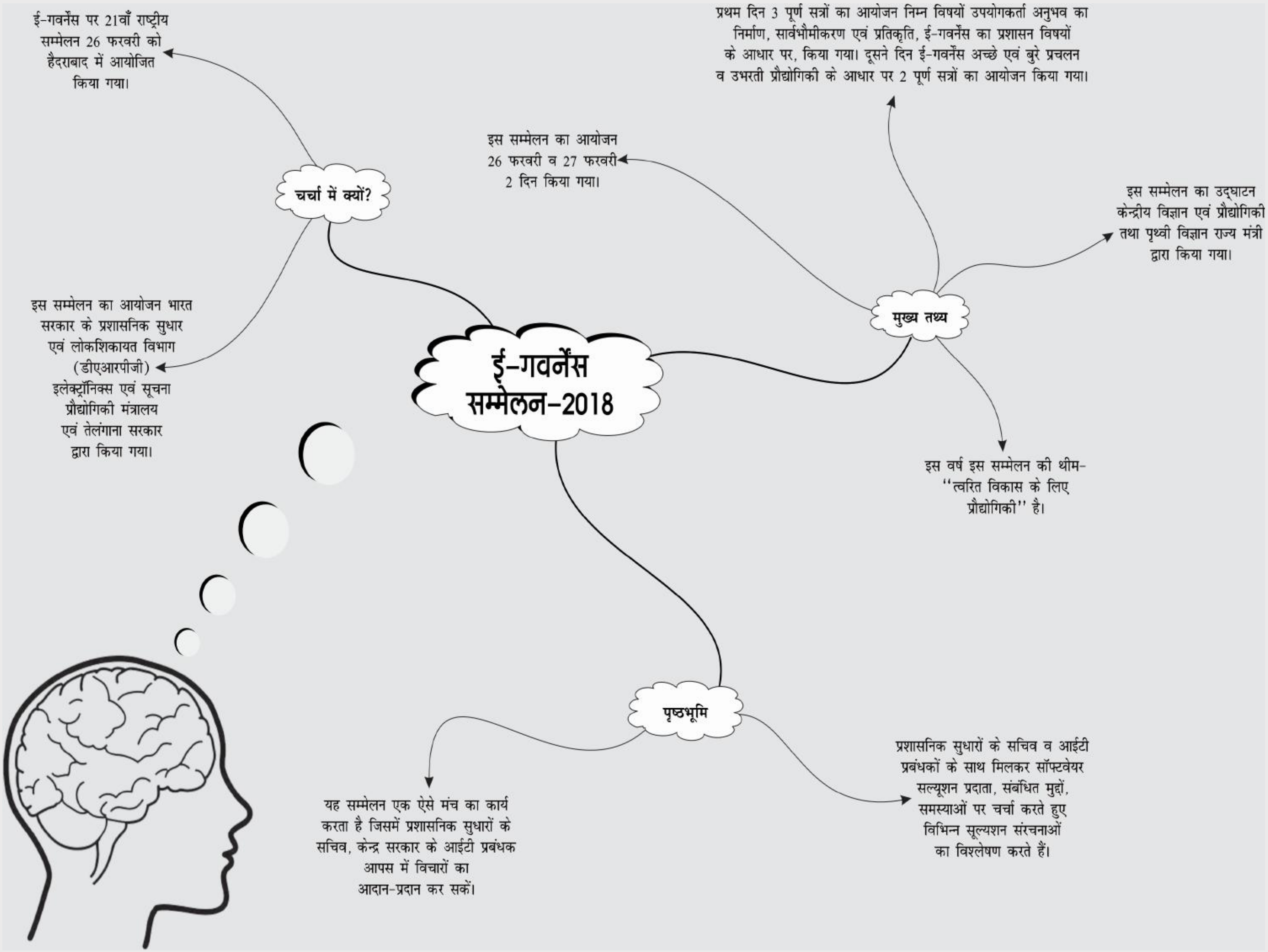
ई-गवर्नेंस सम्मेलन-2018
चर्चा में क्यों?
ई-गवर्नेंस पर 21वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 26 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित किया गया।
इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोकशिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया।
मुख्य तथ्य
इस सम्मेलन का आयोजन 26 फरवरी व 27 फरवरी 2 दिन किया गया।
प्रथम दिन 3 पूर्ण सत्रों का आयोजन निम्न विषयों उपयोगकर्ता अनुभव का निर्माण, सार्वभौमीकरण एवं प्रतिकृति, ई-गवर्नेंस का प्रशासन विषयों के आधार पर, किया गया। दूसने दिन ई-गवर्नेंस अच्छे एवं बुरे प्रचलन व उभरती प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 पूर्ण सत्रों का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री द्वारा किया गया।
इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम- ''त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी'' है।
पृष्ठभूमि
यह सम्मेलन एक ऐसे मंच का कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक सुधारों के सचिव, केन्द्र सरकार के आईटी प्रबंधक आपस में विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।
प्रशासनिक सुधारों के सचिव व आईटी प्रबंधकों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर सल्यूशन प्रदाता, संबंधित मुद्दों, समस्याओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न सूल्यशन संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं।

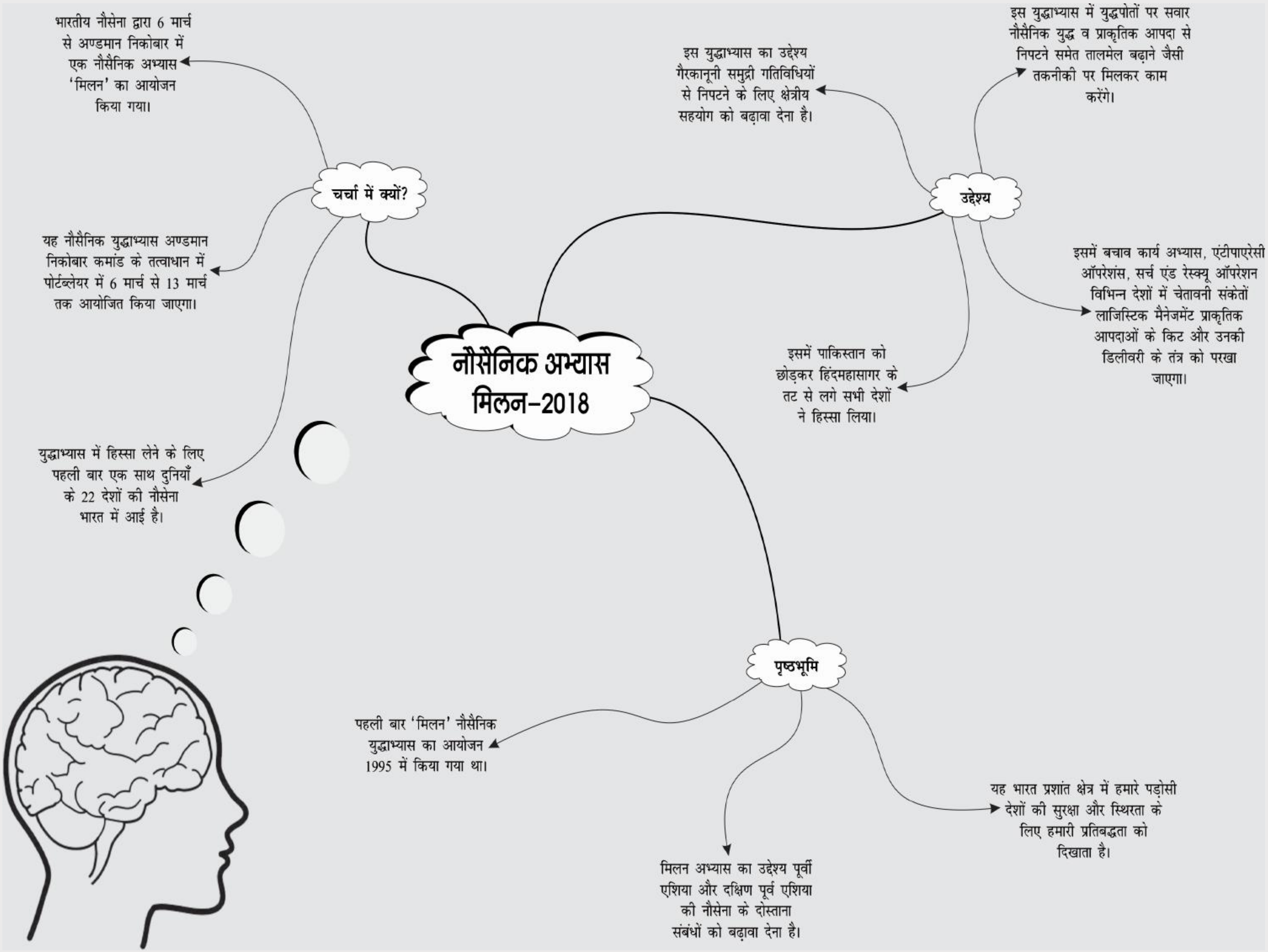
नौसैनिक अभ्यास मिलन–2018
चर्चा में क्यों?
भारतीय नौसेना द्वारा 6 मार्च से अण्डमान निकोबार में एक नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' का आयोजन किया गया।
यह नौसैनिक युद्धाभ्यास अण्डमान निकोबार कमांड के तत्वाधान में पोर्टब्लेयर में 6 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।
युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार एक साथ दुनियाँ के 22 देशों की नौसेना भारत में आई है।
उद्देश्य
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य गैरकानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
इस युद्धाभ्यास में युद्धपोतों पर सवार नौसैनिक युद्ध व प्राकृतिक आपदा से निपटने समेत तालमेल बढ़ाने जैसी तकनीकी पर मिलकर काम करेंगे।
इसमें बचाव कार्य अभ्यास, एंटीपाएरेसी ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन विभिन्न देशों में चेतावनी संकेतों लाजिस्टिक मैनेजमेंट प्राकृतिक आपदाओं के किट और उनकी डिलीवरी के तंत्र को परखा जाएगा।
इसमें पाकिस्तान को छोड़कर हिंदमहासागर के तट से लगे सभी देशों ने हिस्सा लिया।
पृष्ठभूमि
पहली बार 'मिलन' नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन 1995 में किया गया था।
मिलन अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेना के दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देना है।
यह भारत प्रशांत क्षेत्र में हमारे पड़ोसी देशों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

पृथ्वी–II मिसाइल

चर्चा में क्यों?

- 21 फरवरी, 2018 को भारत ने ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर से स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी–II मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया।
- पृथ्वी–II मिसाइल को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) के प्रक्षेपण स्थल–3 से मोबाइल लांचर द्वारा दागा गया।

मुख्य तथ्य

- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया।
- पृथ्वी–II का यह परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान (SFC) द्वारा नियमित प्रयोक्ता परीक्षण के तहत किया गया।

पृथ्वी–II की विशेषताएँ

- इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर है तथा यह एकल चरणीय द्रव प्रणोदक चालित मिसाइल है।
- यह 500 से 1000 किग्रा. तक का युद्धशीर्ष (Warhead) ले जाने में सक्षम है।
- पृथ्वी–II सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
- इसकी मारक क्षमता 350 कि.मी. है।

पृष्ठभूमि

- सेना के सामरिक बल कमान में पृथ्वी–II की तैनाती वर्ष 2003 में हुई थी।
- इससे पूर्व 7 फरवरी, 2018 को इसका सफल परीक्षण किया गया था।

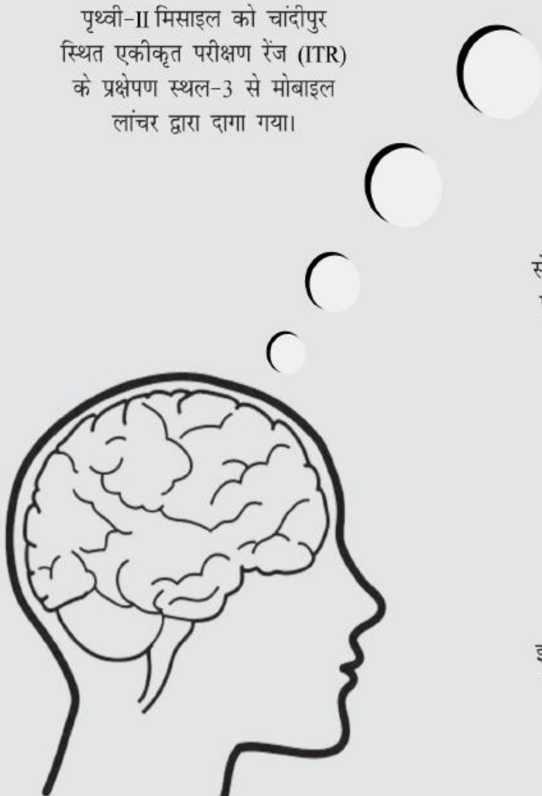

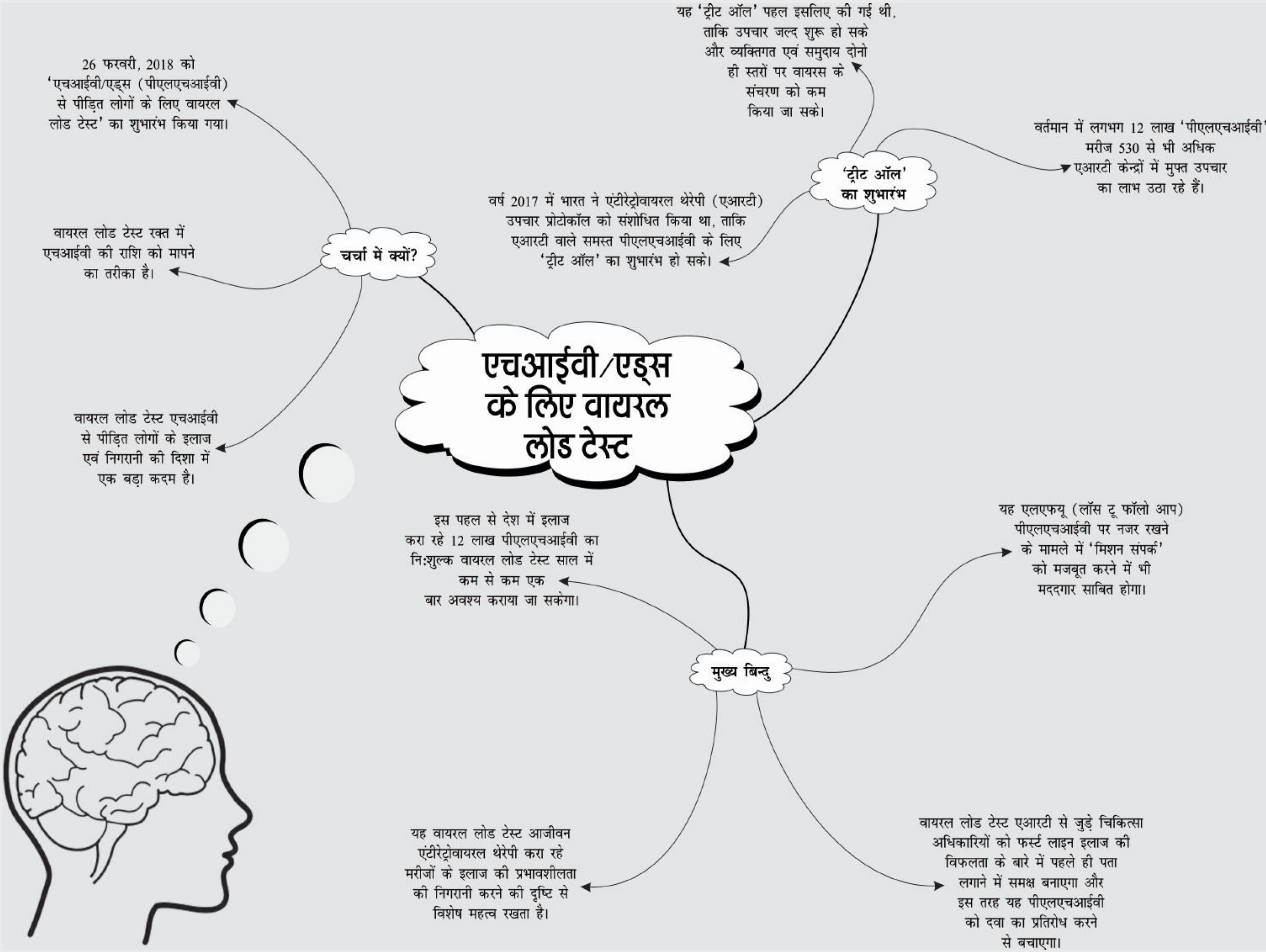
एचआईवी/एड्स के लिए वायरल लोड टेस्ट
चर्चा में क्यों?
26 फरवरी, 2018 को 'एचआईवी/एड्स (पीएलएचआईवी) से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट' का शुभारंभ किया गया।
वायरल लोड टेस्ट रक्त में एचआईवी की राशि को मापने का तरीका है।
वायरल लोड टेस्ट एचआईवी से पीड़ित लोगों के इलाज एवं निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
'ट्रीट ऑल' का शुभारंभ
यह 'ट्रीट ऑल' पहल इसलिए की गई थी, ताकि उपचार जल्द शुरू हो सके और व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनो ही स्तरों पर वायरस के संचरण को कम किया जा सके।
वर्ष 2017 में भारत ने एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) उपचार प्रोटोकॉल को संशोधित किया था, ताकि एआरटी वाले समस्त पीएलएचआईवी के लिए 'ट्रीट ऑल' का शुभारंभ हो सके।
वर्तमान में लगभग 12 लाख 'पीएलएचआईवी' मरीज 530 से भी अधिक एआरटी केन्द्रों में मुफ्त उपचार का लाभ उठा रहे हैं।
मुख्य बिन्दु
इस पहल से देश में इलाज करा रहे 12 लाख पीएलएचआईवी का नि:शुल्क वायरल लोड टेस्ट साल में कम से कम एक बार अवश्य कराया जा सकेगा।
यह एलएफयू (लॉस टू फॉलो आप) पीएलएचआईवी पर नजर रखने के मामले में 'मिशन संपर्क' को मजबूत करने में भी मददगार साबित होगा।
यह वायरल लोड टेस्ट आजीवन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी करा रहे मरीजों के इलाज की प्रभावशीलता की निगरानी करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।
वायरल लोड टेस्ट एआरटी से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों को फर्स्ट लाइन इलाज की विफलता के बारे में पहले ही पता लगाने में समक्ष बनाएगा और इस तरह यह पीएलएचआईवी को दवा का प्रतिरोध करने से बचाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

चर्चा में क्यों?

- भारत में 28 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया।
- वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 'एक स्थायी भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर) है।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाये जाने का उद्देश्य देश में विज्ञान के प्रति लोगों की रूचि में बढ़ोतरी करना है।
- इस दिन सभी विज्ञान संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएँ, विज्ञान अकादमियों, स्कूल और कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों के मन में कायम भ्रांतियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा इसके विकास के द्वारा ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

- राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर नामित किया।
- पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 1987 को मनाया गया था।

विज्ञान दिवस मनाने का कारण?

- यह दिवस रमण प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। यह खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी, 1928 को की गई थी।
- सीवी रमन को इस खोज के कारण वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था।

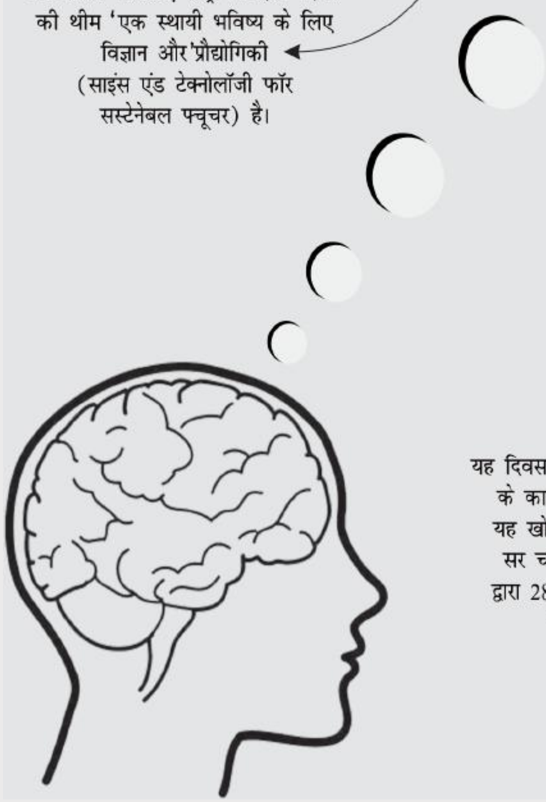

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

नौसैनिक अभ्यास 'मिलन'–2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में नौसैनिक युद्धाभ्यास 'मिलन' 2018 अण्डमान निकोबार कमांड के तत्वाधान में पोर्टब्लेयर में 6 मार्च को शुरू हुआ।
2. युद्धाभ्यास में प्रतिभाग करने के लिए पहली बार एक साथ 22 देशों की नौसेना भारत में आई हैं।
3. 'मिलन' युद्धाभ्यास का उद्देश्य पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेना के दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देना है।
4. पहली बार 'मिलन' नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन 1995 में किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3

(b) केवल 1, 3 व 4

(c) केवल 2, 3 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारतीय नौसेना द्वारा 6 मार्च से अण्डमान निकोबार में एक नौसैनिक युद्धाभ्यास 'मिलन' की शुरूआत की गई।

यह युद्धाभ्यास 6 मार्च से 13 मार्च तक जारी रहेगा।

इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य गैरकानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

■

ई–गवर्नेंस सम्मेलन–2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ई-गवर्नेंस पर 21वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 26 फरवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया।
2. इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया।
3. इस वर्ष सम्मेलन की थीम–'त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी' है।
4. इस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधारों के सचिव व आईटी प्रबंधक एवं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदाता साथ मिलकर संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभिन्न समाधान संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3

(b) केवल 2, 3 व 4

(c) केवल 1, 3 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (b)

व्याख्याः ई-गवर्नेंस पर 21वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 26 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित किया गया।

यह सम्मेलन एक ऐसे मंच का कार्य करता हैं जिसमें प्रशासनिक सुधारों के सचिव, केन्द्र सरकार के आईटी विभाग आपस में विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।

इस वर्ष सम्मेलन की थीम-त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी है।

■

पृथ्वी–II मिसाइल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी-II मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया गया।
2. पृथ्वी-II 'सतह से हवा' में मार करने वाली मिसाइल है।
3. इसकी मारक क्षमता 350 किमी है।
4. यह एकल चरणीय द्रव प्रणोदक चलित मिसाइल है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3

(b) केवल 2, 3 व 4

(c) केवल 1, 3 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (c)

व्याख्याः 21 फरवरी को भारत ने ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर रेज से स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी-II मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया।

विशेषताएँ:

- पृथ्वी-II सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
- इसकी लम्बाई 9 मीटर तथा मारक क्षमता 350 किमी है।
- यह 500 से 1000 किग्रा तक का युद्धभार ले जाने में सक्षम है।
- सेना के सामरिक बल कमान में पृथ्वी-II की तैनाती वर्ष 2003 में हुई थी।

■

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?

(a) राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर नामित किया।

(b) वर्ष 2018 के लिए विज्ञान दिवस की थीम ''साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर'' (स्थाई भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी) है।

(c) सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज लिए वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

(d) भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया। यह दूसरा नोबेल पुरस्कार था, जबकि विज्ञान के लिए पहला एशिया का नोबेल पुरस्कार जापान के हेदेकी यूकावा को प्राप्त हुआ था।

उत्तरः (d)

व्याख्या: विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। सर, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी, 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई इसके पश्चात वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह नोबेल पुरस्कार किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था।

इसके पश्चात एशिया में विज्ञान के लिए दूसरा नोबल पुरस्कार जापान के 'हिदेकी यूकावा' को प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य देश में विज्ञान के प्रति लोगों में रूचि पैदा करना है।

■

एचआईवी/एड्स के लिए वायरल लोड टेस्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. 26 फरवरी को एचआईवी/एड्स (पीएलएचआईवी) से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट का शुभारंभ किया गया।
2. वायरल लोड टेस्ट एचआईवी से पीड़ित लोगों के इलाज एवं निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
3. इस पहल से पीएलएचआईवी मरीजों का निःशुल्क वायरल लोड टेस्ट प्रतिमाह कराया जाएगा।
4. वर्ष 2017 में सरकार ने 'ट्रीट ऑल' के तहत एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी उपचार केन्द्रों की स्थापना की थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 3 व 4

(b) केवल 2, 1 व 4

(c) केवल 1, 2 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (c)

व्याख्या: 26 फरवरी, 2018 को एचआईवी/एड्स (पीएलएचआईवी) से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट का शुभारंभ किया गया।

इस पहल से देश में इलाज करा रहे 12 लाख पीएलएचआईवी का निःशुल्क वायरल लोड टेस्ट साल में कम से कम एक बार कराया जा सकेगा।

वायरल लोड टेस्ट रक्त में एचआईवी संक्रमण की राशि मापने का तरीका है।

वायरल लोड टेस्ट एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से जुड़े चिकित्सा विफलता के बारे में पहले ही पता लगाने में सक्षम बनाएगा।

■

राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) शिक्षामंत्रियों का 20वाँ सम्मेलन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में फिजी में राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का 20वाँ सम्मेलन आयोजित किया गया।
2. राष्ट्रमंडल 1959 से कॉमनवेल्थ शिक्षामंत्रियों का सम्मेलन प्रत्येक 4 साल में कराता है।
3. यह राष्ट्रमंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली मीटिंग 'चोगम' (CHOGM) के बाद राष्ट्रमंडल की दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग है।
4. वैश्विक समुदाय द्वारा सतत् विकास के लिए अपनाए गए लक्ष्यों के बाद से यह वर्ष 2018 का सम्मेलन राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का पहला सम्मेलन है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 4

(b) केवल 1, 3 व 4

(c) केवल 2, 3 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में फिजी में राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का 20वाँ सम्मेलन आयोजित किया गया।

- राष्ट्रमंडल 1959 से कॉमनवेल्थ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 साल में कराता आ रहा है।
- राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का 19वाँ सम्मेलन 'बहामा' में आयोजित हुआ था।
- राष्ट्रमंडल शिक्षामंत्रियों का 21वाँ सम्मेलन केन्या में आयोजित होगा।
- इस बैठक में एसडीजी के खण्ड 4 के लक्ष्य की रणनीतियों और कार्यक्रमों के प्रति एकजुटता पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

■

फाइनेंशियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?

(a) हाल ही में पेरिस में एफएटीएफ की पूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें चीन को एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बनाया गया।

(b) एफएटीएफ की पूर्ण बैठक में अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय सहयोगी पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डालने के पक्ष में थे जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं।

(c) पाकिस्तान को पाकिस्तान से गतिविधियाँ चला रहे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्यवाही योजना तैयार करने हेतु जून तक की मोहलत देते हुए इसे ग्रेलिस्ट सूची में डाला गया है।

(d) एफएटीएफ ने 23 फरवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट में 9 देशों को आतंकवाद पर वित्तपोषण करने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान को भी शामिल किया है।

उत्तर: (d)

व्याख्या: वित्तीय कार्यवाही बल (एफएटीएफ) को वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था।

- ये संस्था आतंकवाद से जुड़े वित्तपोषण तथा मनी लॉड्रिंग से निपटने का कार्य करती है।
- यह 37 देशों का वैश्विक संगठन है।
- एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद को वित्तपोषण करने वाले देशों की सूची में अभी नहीं डाला है।
- कुल 9 देशों को आतंकवाद पर रणनीतिक कमियों वाला देश नामित किया। इनमें इराक, सीरिया, यमन और ट्यूनीशिया आदि देश शामिल हैं।

■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

   - सऊदी अरब

2. हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है?

   - मनुभारक

3. हाल ही में भारत सरकार ने शहरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु किस देश से समझौता किया?

   - जर्मनी

4. विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने क्रिप्टो-करेंसी को मान्यता दी?

   - मार्शल आइलैंड

5. ग्लोबल फायरपावर सूची 2017 में दुनिया की सबसे ताकतवर शीर्ष पाँच सेनाओं में भारतीय सेना का कौन सा स्थान है?

   - चौथा

6. हाल ही में किन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए?

   - मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा

7. हाल ही में बम्ब साइक्लोन किस देश में आया?

   - अमेरिका

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान कैसा है, तो अच्छी तरह से देखो कि वह अपने से नीचे वालों से कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने से बराबर वालों से नहीं।

- जे.के. रोलिंग

2. आकाश की तरफ देखिये। हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्माण्ड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं एवं मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है।

- अब्दुल कलाम

3. गरीबी बहुआयामी है। यह हमारी कमाई के अलावा स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, और हमारी संस्कृति एवं सामाजिक संगठन की उन्नति पर भी असर डालती है ।

- अटल बिहारी वाजपेयी

4. अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना।

- बेंजामिन फ्रैंकलिन

5. कुछ सार्थक हासिल करने से पहले आपको बहुत से छोटे प्रयास करने होते हैं जिसे न कोई देखता या सराहना करता है।

- ब्रायन ट्रेसी

6. सबसे दुखद चीज जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ वो है विलासिता का आदी होना।

- चार्ली चौपलिन

7. जब आप अपने अन्दर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी।

- गुरु गोबिंद सिंह

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य-अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था?

2. मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के भरण-पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समनुदेशित किए जा सकते हैं?

3. ''लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।'' चर्चा कीजिए।

4. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद् (इकोसॉक) के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए।

5. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं?

6. आय असमानता एक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, अत: असमानता को कम और समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चर्चा करें।

7. कृषि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं एवं चुनौतियों के संदर्भ में ऋणमाफी की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए देश में कृषि सुधार हेतु लाई गई प्रमुख योजनाओं की चर्चा कीजिए।

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44